प्रचालन मार्गदर्शिका

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

विषय सामग्री

(प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
I	योजना के उद्देश्य	1
II	किसानों का बीमा आच्छादन	1
III	फसलों का बीमा आच्छादन	2
IV	जोखिमों के लिए बीमा आच्छादन एवं अपवर्जन	2
V	योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व शर्तें	3
VI	अधिसूचना	4
VII	बीमाकृत राशि/बीमा आच्छादन सीमा	8
VIII	प्रीमियम की दरें एवं प्रीमियम से संबंधित सब्सिडी	8
IX	मौसमीय अनुशासन	11
X	प्रस्तावों का संग्रहण तथा किसानों द्वारा देय प्रीमियम	13
XI	नुकसान का मूल्यांकन/उपज में कमी	18
XII	मध्यावधि विपत्ति के कारण दावों का अग्रिम भुगतान	24
XIII	बाधित /निष्फल बुआई एवं बाधित रोपण/अंकुरण दावे	27
XIV	फसल कटाई उपरांत नुकसान	29
XV	स्थानीयकृत जोखिम	33
XVI	किसानों को दावों की अदायगी संबंधी प्रकिया	38
XVII	जोखिमों की बीमा आच्छादन के लिए लागू महत्वपूर्ण शर्तें/नियम	39
XVIII	प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता	40
XIX	सेवा शुल्क एवं बैंक प्रभार	41
XX	सेवा कर	41
XXI	योजना की समीक्षा	41
XXII	योजना का निगरानी एवं सामाजिक परीक्षण	41
XXIII	योजना के कार्यान्वयन में बीमा कंपनियों की सहभागिता	43
XXIV	विभिन्न अभिकरणों की भूमिका और दायित्व	62
XXV	फसल बीमा कार्यक्रम के प्रशासन हेतु फसल बीमा पोर्टल	73

संक्षिप्तीकरण

ए.आई.सी.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
एपीआर	बीमांकिक प्रीमियम दर
एआरजी	ऑटोमेटिक रेन गेज
एडब्ल्यूएस	स्वचालित मौसम केंद्र
एवाई	वास्तविक उपज
सीबी	वाणिज्यिक बैंक
सीसीई	फसल कटाई प्रयोग (क्राप कटिंग एक्सपेरिमेंट)
सी.एस.ओ.	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
डीएसी एंड एफडब्ल्यू	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीसीसीबी	केंद्रीय जिला सहकारी बैंक
डी.एल.एम.सी.	जिला स्तर निगरानी समिति
ई.एस.आई.	अपेक्षित बीमाकृत राशि
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीएस	वैश्विक अवस्थिति प्रणाली
आईए	कार्यान्वयक अभिकरण
आई.ए.एस.आर.आई.	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
आई.एम.डी.	भारतीय मौसम विभाग
आई.आर.डी.ए.आई.	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसआरओ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईयू	बीमा इकाई
केसीसी	किसान ऋण कार्ड
एलसी	हानि लागत
एलपीसी	भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.एन.सी.एफ.सी.	महालेनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र
एमओए एंड एफडब्ल्यू	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएआईएस	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
एनसीआईपी	राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम

एन.एफ.ए.	अधिसूचित क्षेत्र
एनएलएमसी	राष्ट्रीय स्तर निगरानी समिति
एन.आर.एस.सी.	राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केंद्र
एन.एस.एस.ओ.	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएं
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आरओआर	अधिकार अभिलेख
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आर.एस.टी.	दूरस्थ संवेदी प्रौद्योगिकी
आरटीजीएस	रियल टाइम ग्रौस सेटलमेंट
एसएओ	मौसमी कृषि प्रचालन कार्य
एसआई	बीमाकृत राशि
एस.एल.सी.सी.सी.आई.	राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति
टी.ए.सी.	तकनीकी सलाहकार समिति
टीएसयू	तकनीकी सहायता इकाई
टीवाई	थ्रेशहोल्ड उपज
यूएसएसडी	असंरचनात्मक अनुपूरक सेवा आंकड़े
यूटी	केंद्र शासित राज्य
यूटीआर	अभिनव लेनदेन संदर्भ
एक्सएमएल	विस्तारणीय अधिक मूल्य निर्धारण भाषा

I. **योजना का उद्देश्य**

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) का उद्देश्य यह है कि निम्नांकित उपायों के द्वारा कृषि क्षेत्र से संबंधित संधारणीय उत्पादन को सहायता उपलब्ध कराई जाए -

क) अनपेक्षित घटनाक्रम के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

ख) किसानों की आय को सुदृढ़ करना ताकि वे अपने कृषि कार्य को जारी रख सकें

ग) किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

घ) कृषि कार्य हेतू में ऐसा ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना जिससे किसानों की उत्पादन जोखिम से संरक्षा होने के अलावा कृषि क्षेत्र से संबंधित खाद्य सुरक्षा, फसल विविधिकरण, तीव्र विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त हो।

II. **किसानों की बीमा आच्छादन**

1. अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा आच्छादन प्राप्त करने के पात्र हैं। तथापि, किसानों का अधिसूचित/बीमाकृत फसलों के लिए बीमा हित होना चाहिए। गैर ऋणी किसानों को चाहिए कि वे संबंधित राज्य से अपने भू-अभिलेखों के आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (अधिकार अभिलेख (आरओआर), भू स्वामित्व प्रमाण पत्र (एलपीसी) आदि) और/अथवा अनुप्रयोज्य संविदा/करार विवरण/संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/अनुमत अन्य दस्तावेज (बटाईदारों/काश्तकारों के मामले में) प्रस्तुत करें।

2. <u>अनिवार्य घटक</u>

अधिसूचित फसल/फसलों के लिए मौसमी कृषि प्रचालन/कार्य हेतु वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण लेने वाले समस्त कृषको को अनिवार्यत: बीमा आच्छादन दायरे में लाया जायेगा|

3. <u>स्वैच्छिक घटक</u>

यह योजना गैर-ऋणी किसानों के लिए <u>स्वैच्छिक</u> होगी।

4. योजना के अंतर्गत अ.जा./अ.ज.जा./महिला किसानों की अधिकतम बीमा आच्छादन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इन योजनाओं के अंतर्गत किया गया बजट आबंटन और उसका उपयोग संबंधित राज्य/समूह में महिलाओं सहित अ.जा./अ.ज.जा./सामान्य से संबंधित भू-स्वामित्व के अनुपात में होगा। फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न अवस्थाओं विशेषत: फसलों और लाभार्थियों के अभिचिन्हन, किसानों के बीच विस्तारण और जागरूकता, बाधित बुआई/रोपण जोखिम, स्थानीयकृत जोखिमों के लिए किए गए दावों का मूल्यांकन करने के समय किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, फसल कटाई उपरांत हानि और दावों आदि के अग्रिम भुगतान के बारे में पंचायत राज संस्थाओं (पीआरआई) को शामिल किया जा सकता है।

III. फसलों की बीमा आच्छादन

1. खाद्यान फसलें (मोटे अनाज और दलहन)
2. तिलहन
3. वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें

IV. जोखिमों की आच्छादन और अपवर्जन

1. निम्नलिखित अवस्थाओं में, इस योजना के अंतर्गत, फसल व जोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान होता है, को आच्छादित किया जायेगा|

क) बाधित बुआई/रोपण जोखिम : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेंगा|

ख) खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक) : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे, लम्बी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जलभराव, कृमि व रोग एवं रोगों, भू स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बवंडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है।

ग) **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** : यह बीमा **आच्छादन** ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है जिन्हे फसल कटाई के बाद खेत में सुखने के लिए छोड़ा जाता है।

घ) **स्थानीयकृत आपदाएं** : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि-भूमि को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि, भू-स्खलन और जलभराव के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति।

2. सामान्य अपवर्जन: युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

V. <u>योजना के कार्यान्वयन के लिए पूर्व शर्तें</u>

1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य/केन्द्र शासित राज्य द्वारा अधिसचूना निर्गमन से यह अभिप्रेत होगा कि सभी संबंधित उपबंधों, नियम विनियमों व दिशानिदेशों को स्वीकार कर लिया गया है। राज्यों/केन्द्र शासित राज्य के लिए पी.एम.एफ.बी.वाई. से संबंधित अनिवार्य मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं :-

क) राज्य को अधिसूचित बीमा इकाई स्तर पर अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) करने होंगे।

ख) फसल कटाई प्रयोगों पर आधारित उपज के आंकड़े तय निश्चित सीमा समय सीमा के भीतर बीमा कंपनी को प्रस्तुत करने होंगे।

ग) राज्य/केन्द्र शासित राज्यों को फसल अवधि शुरू होने पर समुचित अनुमानों पर आधारित प्रीमियम सब्सिडी निर्मुक्त करने के लिए राज्य/केन्द्र शासित राज्य आवश्यक बजटीय प्रावधान करेंगे।

घ) राज्य/केन्द्र शासित राज्य को मौसम केंद्र नेटवर्क को सुदृढ करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।

ङ) फसल कटाई प्रयोगों संचालित करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी विशेषतया एक स्मार्ट फोन/हस्तसंचालित युक्तियों को अंगीकार करना होगा।

2. राज्य सरकार का विभाग जो कि पहले से ही संचालित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) को कार्यान्वित कर रहा है, को पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में विनियत किया जाना चाहिये| राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को कार्यान्वयन कर रही है, को पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन के लिए अधिकृत किया जाना चाहिये| जिन राज्यों/केंद्र शासित राज्य जिन्होंने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया है, वे पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) तथा राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम के अनुसार राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति का गठन करेंगे| एस.एल.सी.सी.सी.आई. की वर्तमान अवसरंचना को राज्य, बागवानी विभाग, राज्य दूरस्थ संवेदी अनुप्रयोग केन्द्र, भारतीय मौसम विभाग (आई.एम.डी.) और पी.एम.एफ.बी.वाई. कार्यान्वित करने वाले किसानों के प्रतिनिधियों एवं पैनलबद्ध बीमा कंपनियों को मिलाकर सुदृढ किया जाए। एस.एल.सी.सी.सी.आई. आवश्यक होने पर अन्य विभागों/अभिकरणों के प्रतिनिधियों को चुनेंगे।

VI. <u>अधिसूचना</u>

1. फसल वर्ष शुरू होने से पहले और विशेष रूप से फरवरी माह के शुरू में एस.एल.सी.सी.सी.आई. की बैठक विभिन्न नियमों, विनियमों को अंतिम रूप दिए जाने और बोलियां आमंत्रित करने/बोली नोटिस जारी करने के लिए बुलाई जाए ताकि बोली/ जोखिम अवधि के दौरान बीमा कंपनियों के चयन किए जाने के साथ योजना का कार्यान्वयन किया जा सके। राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिसूचना जारी करने के साथ साथ इसका वितरण फसल मौसम शुरू होने से कम से कम <u>एक माह पूर्व</u> सभी संबंधित अभिकरण/विभागों/संस्थाओं के बीच कर दिया जाय, जिसमें बीमाकृत फसलों के लिये सभी आवश्यक ब्योरे यथा बीमित फसलों के नाम, क्षेत्र, वित्तीय मापदंड, बीमित राशि, बीमा इकाई पर थ्रेशहोल्ड, किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर, सब्सिडी के साथ साथ आवधिकता संबंधी अनुशासन आवधिकता संबंधी अनुशासन एवं प्रत्येक गतिविधि की विनियमित तिथि सब्सिडी अंकित हो|

फसलों, संबंधित क्षेत्रों और कार्यान्वयन अभिकरण की अधिसूचना

2. (क) यह योजना परिभाषित क्षेत्रो में जो कि बीमित इकाई कहलाते है, 'क्षेत्र दृष्टिकोण' के सिद्धांत पर परिचालित की जायेगी| राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य एस.एल.सी.सी.सी.आई. की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार संबंधित अवधि के दौरान आच्छादित परिभाषित क्षेत्रों एवं फसलों को अधिसूचित करेंगी। राज्य/केन्द्र शासित राज्य मुख्य फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत अथवा किसी अन्य समकक्ष इकाई को बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित करेगी। अन्य फसलों के लिए यह ग्राम/ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर की इकाई हो सकता है।

(ख) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों और स्थानीयकृत जोखिमों के कारण फसल को होने वाली क्षति से उत्पन्न दावों के लिए क्षति का आकलन क्रमश: पैरा XIV और XV में रेखांकित व्यक्तिगत कृषि क्षेत्र आधार पर किया जाएगा।

3. एस.एल.सी.सी.सी.आई. अधिसचूना प्रयोजन के लिए पर्याप्त वर्षों (कम से कम 10 वर्ष) के लिए फसल कटाई प्रयोग पर आधारित पिछले उपज आंकड़ों की उपलब्धता, बोई गई फसल के क्षेत्र और प्रस्तावित मौसम आदि के दौरान उपज आकलन जैसे कारकों पर विचार करेगा।

4. राज्य सरकार/केंद्र शासित राज्य सरकार क्षतिपूर्ति स्तर, थ्रेशहोल्ड उपज, प्रीमियम दर संगणना आदि का संगणन करने के लिए बीमा इकाई क्षेत्र तथा उपर्युक्त की अनुपस्थिति में अगले उच्चतर इकाई/नजदीकी इकाई और एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा विनियत इकाईयो के भारित औसत के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों के परिप्रेक्ष्य में बीमा कंपनियों को 10 वर्षों के ऐतिहासिक उपज आंकड़े उपलब्ध कराएगी। बीमा इकाई के अधिसूचित क्षेत्रों के स्तर और नाम अधिसूचना का एक भाग होंगे जिन्हें बोली के समय उपलब्ध कराया जाएगा। नामित/पैनलकृत बीमा कंपनियों द्वारा बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए न्यूनतम दो सप्ताह का समय दिया जाएगा।

5. यदि फसल के तहत सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्रों को अलग-अलग अधिसूचित करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में सिंचित और गैर सिंचित फसलों के लिए फसल कटाई प्रयोगों की पृथक-पृथक योजना बनाई जाए तथा संचालन की जाये। इसके अतिरिक्त पर्याप्त वर्षों के लिए पिछले उपज आंकड़ों को अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

6. ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर पी.एम.एफ.बी.वाई. कार्यान्वित करने वालों वैसे राज्य सरकार से फसल कटाई प्रयोगों के वृद्धिक व्यय तथा स्मार्ट फोन/समुन्नत प्रौद्योगिकी की लागत की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होगे। प्रतिपूर्ति के लिए केवल पात्र मदों पर ही विचार किया जाएगा।

क्षतिपूर्ति स्तर, औसत उपज, थ्रेशहोल्ड उपज, बीमाकृत राशि और प्रीमियम दरों की अधिसूचना

7. संबंधित क्षेत्रों के उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम स्तर पर क्रमश: 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 90 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के तीन स्तर सभी फसलों के लिए उपलब्ध होंगे। एस.एल.सी.सी.सी.आई. बीमा कंपनियों के परामर्श से जिला अथवा उप-जिला स्तर पर अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए क्षतिपूर्ति स्तर को मंजूरी देगी।

बीमा इकाई में अधिसूचित फसल से संबंधित औसत उपज (दो घोषित आपदा वर्षों को छोड़कर) नवीनतम 7 वर्षों की औसत उपज होगी। अधिसूचित फसलों की थ्रेशहोल्ड उपज क्षतिपूर्ति स्तर द्वारा गुणित औसत उपज के समकक्ष है। बीमित राशि और प्रीमियम दरों को भी सूचित कर दिया जाएगा।

थ्रेशहोल्ड उपज की संगणना के लिए आपदा वर्ष/ वर्षों की अधिसूचना, (यदि कोई हो)

8. यदि राज्य सरकार/ केन्द्र शासित राज्य सरकार संबंधित सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस वर्ष के लिए, लिए गए निर्णय/की गई अधिसूचना के आधार पर किसी जिले/ क्षेत्र के संबंध में आपदा वर्ष घोषित करती है तो ऐसे आपदा वर्ष/वर्षों को बीमा इकाई स्तर, उप जिला/जिला स्तर पर अनुमानित थ्रेशहोल्ड उपज, बीमाकृत राशि (वित्त-मान) आदि में थ्रेशहोल्ड उपज संगणित करते हुए निकाल दिया जाएगा। ऐसे अधिक से अधिक 2 वर्षों को थ्रेशहोल्ड उपज की संगणना से निकाल दिया जाएगा भले ही आपदा वर्ष गत 7 वर्षों के दौरान 2 वर्षों से अधिक हों। घोषित वर्ष की उपज सामान्य वर्षों से अधिक बताई जानी अपेक्षित नहीं है। यदपि, यदि ऐसा है तब उस वर्ष को उस अवधि की थ्रेशहोल्ड उपज की संगणना के लिए आपदा वर्ष नहीं माना जाएगा। इसके अलावा राज्य द्वारा जारी अधिसूचना में एक बार अधिसूचित थ्रेशहोल्ड उपज को किसी भी हालत में किसी भी स्थिति के तहत बदला नहीं

जाएगा। यदपि, वास्तविक उपज को दृष्टिगत रखते हुए बाद के वर्षों में थ्रेशहोल्ड उपज और बीमाकृत धनराशि को प्रत्येक फसल अवधि के शुरू में तदनुसार संगणित और अधिसूचित किया जाए।

आवधिकता संबंधी अनुशासन

9. राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य सरकार योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमा प्रस्तावों की प्रस्तुति, बैंकों द्वारा समेकित घोषणा उपज के आंकड़े, नुकसान के दावों का निर्धारण (I) खड़ी फसल (II) स्थानीयकृत आपदाएं (III) बाधित बुआई (IV) फसल कटने के बाद से संबंधित नुकसान (V) प्रमुख आपदाओं के लिए अग्रिम भुगतान आदि के तहत विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आवधिकता संबंधी अनुशासन को भी अधिसूचित किया जाएगा।

स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडबल्यूएस) की अधिसूचना

10. दावों के अग्रिम भुगतान और बाधित बुआई आदि के दावों के लिए राज्य सरकार संबंधित मौसम, डाटा-प्रदाता/विशेषज्ञ अभिकरण को अधिसूचित करेगा जिसकी विवरण/कार्य पद्धति का उपयोग नुकसान की सीमा विनियत करने और भुगतान की संगणना के लिए किया जाएगा। अधिसूचित स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षा गेज (एआरजी) वर्ष 2015 में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा परिचालित, समिति की विवरण में यथा परिकल्पित मानकों/मानदण्डों/नियमों को पूरा करेंगे/भरेंगे।

फसल बीमा पोर्टल पर डाटा की प्रविष्टि

11. भारत सरकार ने हाल ही में बेहतर प्रशासन, हितधारकों के बीच समन्वयन करने, किसानों, राज्यों, बीमा करने वालों और बैंकों के लिए सूचना के उचित प्रसार एवं पारदर्शिता के लिए www.agri-insurance.gov.in बीमा पोर्टल बनाया है। विभिन्न चरणों के तहत, रूपरेखा, कार्यों, भूमिका और डाटा/सूचना की प्रविष्टि के लिए दायित्वों सहित फसल बीमा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए फसल बीमा पोर्टल से संबंधित विस्तृत जानकारी पैरा XXV पर उपलब्ध है। अधिसूचित क्षेत्र, फसल, बीमाकृत राशि, सरकारी सहायता, किसानों द्वारा प्रदत्त प्रीमियम और विशेष बीमा इकाई से संबंधित बीमा कंपनियों की आधारभूत सूचना को अंकीकृत करके पोर्टल की वेबसाइट पर रखा गया है, ताकि किसान और अन्य हितधारकों इंटरनेट और एसएमएस के माध्यम से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, किसानों

द्वारा संबंधित सूचना तक अभिसरण प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए एंड्राएड आधारित फसल बीमा ऐप शुरू किया गया है जिसे कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट अथवा गूगल प्ले स्टोर में से किसी से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से चरणबद्ध ढंग से वास्तविक सूचना और निगरानी प्रक्रिया प्राप्त करने तथा उसके बेहतर संचालन, समन्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ एक ही सूचना प्रौद्योगिकी मंच पर सभी हितधारकों, बीमा कंपनियों, वित्त संस्थानों और सरकारी अभिकरण को एकीकृत करने का भी प्रयास कर रही है।

राज्य सरकार और संबंधित कार्यान्वयक अभिकरण यथोचित समय पर फसल बीमा पोर्टल में राज्यों द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्टि के लिए जिम्मेदार होंगे ताकि हितधारकों को अंकीकृत रूप में सूचना उपलब्ध कराई जा सके। वेब पोर्टल पर डाटा/सूचना से संबंधित प्रविष्टि के ब्योरा www.agri-insurance.gov.in पोर्टल पर देखे जा सकते हैं। राज्य सरकार और संबंधित कार्यान्वयक अभिकरण किसी भी गलत प्रविष्टि/त्रुटि/चूक आदि के लिए जिम्मेदार होंगे।

VII. बीमाकृत राशि/बीमा आच्छादन सीमा

1. ऋण लेने और ऋण न लेने वाले किसानों दोनों के लिए बीमाकृत राशि जिला स्तर तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित वित्त-मान के समकक्ष होगी तथा इसे एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा पहले से ही घोषित करते हुए अधिसूचित किया जाएगा। इस संबंध में वित्त-मान का कोई अन्य संगणन लागू नहीं होगा। वैयक्तिक किसान के लिए बीमाकृत राशि; प्रति हेक्टेयर वित्त-मान एवं बीमा के लिए किसान द्वारा प्रस्तावित अधिसूचित फसल क्षेत्र के गुणनफल के समकक्ष है। कृषि के अधीन क्षेत्र की अभिव्यक्ति हमेशा हैक्टर में की जाएगी।

2. सिंचित और गैर सिंचित क्षेत्रों के लिए बीमाकृत राशि अलग-अलग होगी।

VIII. प्रीमियम दरें और प्रीमियम सब्सिडी

1. बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत वसूला जाएगा। किसान द्वारा देय बीमा प्रभार की दर निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी :-

क्र.सं.	मौसम	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमाकृत राशि का प्रतिशत)
1	खरीफ	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो
2	रबी	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो
3	खरीफ और रबी	वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दर जो भी कम हो

2. तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) राज्यों की आवश्यकता के अनुसार खरीफ फसलों के लिए माह फरवरी और रबी फसलों के लिए माह अगस्त में उपलब्ध अद्यतन उपज आंकड़ों के आधार पर **पूर्ववर्ती 10 ऐसे ही फसल मौसमों** खरीफ/ रबी (ए.आई.सी. / तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) के रूप में कार्य करेगा जबतक कि एक स्वतंत्र अभिकरण या तकनिकी सहायता इकाई न बन जाये) के दौरान **हानि लागत** (एलसी) बीमा से संबंधित अधिसूचित इकाई क्षेत्र में अधिसूचित फसल/फसलों के मामले में बीमाकृत राशि के सापेक्ष अवलोकित दावों की प्रतिशतता की संगणना करेगा और प्रीमियम बोली आमंत्रित करने से पहले कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग/ संबंधित राज्यों को उनके अनुरोध करने पर उपलब्ध कराएगा। इस संगणना कार्य को आंतरिक प्रयोजनों के लिए मंत्रालय की ओर से ए.आई.सी. द्वारा निष्पादित किया जाएगा ताकि उचित समय पर बोलियों का मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ संबंधित जोखिमों को बीमा आच्छादन प्रदान किए जाने के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के लिए अनुमानित लागत की सूचना प्राप्त की जा सके।

3. सरकारी सब्सिडी का भुगतान :

क) किसानों द्वारा देय प्रीमियम दर और बीमांकिक प्रीमियम की दर के अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सिडी की दर माना जायेगा जिसकी भागीदारी केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर रूप में वहन की जायेगा। **तथापि इस संबंध में राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकारें अपने**

स्वयं के बजट से निर्धारित सब्सिडी से भी अधिक अतिरिक्त सब्सिडी देने के लिए मुक्त हैं। दूसरे शब्दों में अतिरिक्त सब्सिडी यदि कोई है तो उसका वहन पूर्णतया राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रीमियम से संबंधित सब्सिडी केवल बीमाकृत राशि की हद तक ही दी जाएगी।

(ख) निजी पैनलबद्ध बीमा कंपनियों को सरकारी प्रीमियम से संबंधित सब्सिडी सरकारी दिशा निदेशों/आदेशों के अनुसार एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से दी जाएगी। इसकी बाद में समीक्षा की जा सकती है और आवश्यक होने पर उसमें तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा। तदनुसार ए.आई.सी. इस आशय के साथ अधिकार प्राप्त है कि वह योजना की बेहतर कार्यन्वयन और निगरानी के लिए संबंधित बीमा कंपनियों और सरकारों के बीच निधियों की भागीदारी/उसका प्रसार करने और सरकारी निधियों के उपयोग तथा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी अपेक्षित सूचना को आमंत्रित/एकत्रित करें।

(ग) सरकार (केन्द्र और राज्य सरकार दोनों) सामान्य वित्तीय नियम/इस मामले में दिए गए दिशा निदेश को पूरा करने की शर्त पर प्रत्येक बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बीमा आच्छादन के प्रोजेक्शन के आधार पर फसल अवधि के शुरू में पैनलबद्ध बीमा कंपनियों को कुल अनुमानित प्रीमियम सब्सिडी की 50 प्रतिशत धन राशि जारी कर सकती है।

4. दावों से संबंधित दायित्व

बीमा कंपनी बीमाधारक के हितों की रक्षा करने के प्रयोजनार्थ अपने पोर्टफोलिओ में यथोचित पुनर्बीमा आच्छादन लेने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगी। फसल अवधि में यदि राष्ट्रीय स्तर पर दावों से संबंधित प्रीमियम की स्थिति में अनुपात 1:3.5 अथवा संबंधित दावे बीमाकृत राशि से 35 प्रतिशत से अधिक है, जो भी अधिक हो, ऐसी स्थिति में सरकार कार्यान्वयन अभिकरण को संरक्षण प्रदान करेगी। फसल अवधि में उपर्युक्त स्तर से अधिक नुकसान होने पर उसकी भरपाई केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य/ केंद्र शासित राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर की जाएगी। सभी दावों के भुगतान का दायित्व, तथापि, संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण का ही होगा। उपर्युक्त शर्त को पूरा न करने की स्थिति में जहां हानि उपर्युक्त सीमाबंदी स्तर से अधिक होगी वहां बीमा कंपनियों द्वारा दावों का निपटान करने की जिम्मेदार होंगी।

IX. मौसमीय अनुशासन

1. ऋणी और गैर ऋणी कृषकों के लिए अंतिम तारीख एक समान होगी। विभिन्न फसलों के लिए राज्यवार अंतिम तारीख अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रकाशित प्रमुख फसलों के लिए फसल कैलेण्डर पर आधारित होगी। फसल कैलेण्डर की नवीनतम प्रति अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय की वैबसाइट http://eands.dacnet.nic.in/PDF/Agricultural-Statistics-At-Glance2014.pdf (फसल कैलेण्डर का विवरण परिशिष्ट-4 पर सविस्तार उपलब्ध है) पर उपलब्ध है तथापि मौजूदा कृषि जलवायु दशा, वर्षा वितरण/ सिंचाई जल की उपलब्धता, बुआई पद्धति आदि के अलावा एस.एल.सी.सी.सी.आई. बीमा कंपनी के परामर्श से बीमा आच्छादन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों के आवधिकता संबंधी अनुशासन को इस प्रकार विनिर्धारित करेगा कि उससे प्रतिकूल चयन प्रक्रिया अथवा नैतिक जोखिम उत्पन्न न हो। प्रमुख आवधिकता अनुशासन संबंधी विवरण नीचे चार्ट में परिलक्षित है :-

क्र.सं.	क्रियाकलाप	खरीफ	रबी
1	भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुदेश जारी करना	फरवरी	अगस्त
2	फसलों से संबंधित अधिसूचना, अधिसूचित क्षेत्र, बीमाकृत राशि की सीमा और क्षतिपूर्ति स्तर के अंगीकरण आदि से सम्बंधित निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ एस.एल.सी.सी.सी.आई. की बैठक का आयोजन	मार्च	सितंबर
3	राज्य/केन्द्र शासित राज्य क्षेत्र की एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा अधिसूचना जारी करना	मार्च	सितंबर
4	फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित सूचना/डाटा की प्रविष्टि	अधिसचूना जारी होने से एक सप्ताह के भीतर	
5	अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी किसानों के लिए ऋण की अवधि (संस्वीकृत/नवीकृत ऋण)	अप्रैल से जुलाई	अक्तूबर से दिसंबर
6	किसानों (ऋण प्राप्त और गैर ऋण प्राप्त) से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने/बैंक खाते से प्रीमियम कटौती की अंतिम तारीख	31 जुलाई	31 दिसंबर
7	पैक्स हेतु जिला सहकारी बैंक, बैंक शाखाओं	अंतिम तारीख के बाद ऋणी	

	(सीवी/आरआरबी), स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त गैर ऋणी किसानों और अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी की समेकित घोषणाओं/प्रस्तावों के बीमा कंपनियों को प्राप्त होने की अंतिम तारीख	किसानों के लिए 15 दिन के अंदर और गैर ऋणी किसानों के लिए 7 दिन के अंदर
8	नामित बीमा एजेंटों/मध्यस्थों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर बीमित किए गए किसानों के घोषणा पत्र बीमा कंपनियों को प्राप्त होने के अंतिम तिथि	घोषणा/प्रीमियम प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
9	संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)/नोडल बैंकों(सहकारिताओं के लिए) की ओर से स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त और अऋणी किसानों और अनिवार्य आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त ऋणी किसानों के प्रस्तावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	संबंधित नोडल बैंक कार्यालयों द्वारा घोषणाओं की प्राप्ति के 7 दिन के भीतर
10	वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक /प्राथमिक कृषि सहकरिता समिति (पैक्स)/ मध्यस्थों द्वारा वैयक्तिक बीमाकृत किसानों के ब्योरों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना	किसानों से प्राप्त की प्रीमियम अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर
11	फसल कटाई के बाद उपज संबंधी आंकड़ों की प्राप्ति की अंतिम तारीख	अंतिम से एक माह के भीतर
12	उपज डाटा पर आधारित अंतिम दावों का संसाधन, अनुमोदन और भुगतान	उपज संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की तारीख से 3 सप्ताह के भीतर

2. इसके अलावा तीन फसल/मौसम पद्धति के मामले में उपर्युक्त समग्र आवधिकता संबंधी अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए फसल बीमा से संबंधित राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.सी.आई.) द्वारा एक आशोधित अनुशासन अंगीकृत किया जाएगा।

3. **फसल बीमा की विशेषता और उसकी आपाती प्रकृति दृष्टिगत रखते हुए एस.एल.सी.सी.सी.आई. संबंधित मौसमी अवधि को इस प्रकार विनियत करेगी कि उससे प्रतिकूल चयन अथवा नैतिक जोखिम का प्रोत्साहन न हो। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि पात्र बीमाकृत किसानों को उनके दावों का भुगतान यथाशीघ्र हो जाए। योजना में बाधित बुआई के कारण होने वाले दावों और बीमाकृत फसल को परिवर्तित करने संबंधी विकल्प के भी**

प्रावधान किए गए हैं। अतएव राज्य सरकार योजना के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर किसानों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। फसल अवधि के लिए एक बार विनियत और अधिसूचित होने के बाद इस विभाग द्वारा उपर्युक्त अवधि/अंतिम तारीखों के विस्तारण में कोई छूट नहीं दी जाएगी, तथापि, अंतिम तारीखों वो पूर्ववर्ती करने के लिए हर मामले पर अलग से विचार किया जाएगा। यदि कोई राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकार स्वयं उपर्युक्त आवधिकता/अंतिम तारीखों को विस्तारित करता है तब ऐसी स्थिति में संबंधित अधिसूचित फसलों/क्षेत्रों के लिए प्रीमियम सब्सिडी में संबंधित केंद्र का हिस्सा उपलब्ध नहीं होगा ।

4. ज्ञातव्य हो कि न तो कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और न ही कोई अन्य राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकार किसी भी हालत में मौसमी अंतिम तारीखों को विस्तारित करने के लिए प्राधिकृत नहीं होंगी। तथा, आवश्यक होने पर राज्य/ केन्द्र शासित राज्य सरकार कार्यान्वयन अभिकरण की सहायता से ऐसा कर सकते हैं। तथापि, ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्रों/किसानों/फसलों के लिए कोई केंद्रीय प्रीमियम सब्सिडी नहीं दी जाएगी जो विस्तारित अवधि में बीमा आच्छादन प्राप्त/बीमाकृत हैं। तथापि, इस संबंध में बीमा कंपनी को कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को ऐसी सहमति की सूचना देते हुए ऐसी विस्तारित अवधि के दौरान अलग से बीमा आच्छादन दिए जाने संबंधी ब्योरे प्रस्तुत करने होंगे।

X. प्रस्तावों का संग्रह तथा किसानों द्वारा देय प्रीमियम

1. एन.ए.आई.एस./एन.सी.आई.पी. के तहत मौजूदा नोडल बैंक प्रणाली पी.एम.एफ.बी.वाई. में **केवल सहकारी बैंकों** के लिए जारी रहेगी, जबकि कार्यान्वयन बीमा कंपनियों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी ऋण संवितरण बिंदुओं (पैक्स) पर काम करे और इसकी बजाय केवल विनियमत नोडल बैंकों के साथ कार्य करें। तथापि वाणिज्यके बैंकों/आरआरबी से संबंधित वैयक्तिक बैंक शाखाएं इस प्रयोजनार्थ नोडल शाखा के रूप में कार्य करेंगी। **संबंधित अग्रवर्ती बैंक और वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों को संबंधित बैंक शाखाओं में आवश्यक दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के साथ उनसे इस आशय का समन्वय करना होगा कि सभी संबंधित शाखाएं निर्धारित अंतिम तारीखों के भीतर बीमा कंपनियों को समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें और फसल बीमा पोर्टल पर बीमाकृत ब्योरे की सॉफ्टकॉपी अपलोड करें। बीमा कंपनी गैर ऋणी किसानों को बीमा आच्छादन देने**

के लिए आई.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित बीमा एजेंटों/बीमा मध्यस्थों का भी उपयोग कर सकती है।

2. नोडल बैंकों/शाखाओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजनार्थ घोषणा/प्रस्ताव प्रपत्रों में बीमा इकाई, बीमित राशि प्रति इकाई, प्रति इकाई प्रीमियम, किसानों का कुल बीमाकृत क्षेत्र, बीमा आच्छादन प्राप्त किसानों की संख्या एवं श्रेणी (छोटे सीमांत और अन्य किसान) **फसल बीमा पोर्टल में उपलब्ध/विनियत प्रपत्र के अनुसार** उनके बैंक खातों के ब्योरों आदि (बैंक/उनकी शाखाएं) सहित अन्य श्रेणी (अ.जा./ अ.ज.जा./अन्य/महिलाओं) के तहत किसानों की संख्या निहित होगी।

ऋण लेने वाले किसान (अनिवार्य बीमा आच्छादन)

3. जब कभी संबंधित बैंक अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिए ऋण संस्वीकृत करें उस समय **अधिसूचित फसलों के लिए वित्त मान** और ऋण प्राप्त करने वाले किसानों से संबंधित वैयक्तिक अधिसूचित फसलों के क्षेत्र की सीमा तक ही फसल ऋण राशि पर आवधिकता अनुशासन के अनुसार अनिवार्य बीमा आच्छादन दिए जाने के लिए विचार किया जाएगा। फसलों की आवधिकता संबंधी अनुशासन को दृष्टिगत रखते हुए बैंक अधिसूचित फसलों के तहत वित्त मान एवं घोषित क्षेत्र के तहत खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए ऋण राशि की पात्रता का संगणन अलग से करेंगे। संवितरण बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) आवधिकता संबंधी अनुशासन के अनुसार प्रीमियम सहित फसल बीमा का फसलवार एवं बीमा इकाईवार विवरण मासिक आधार पर तैयार करेंगी। ऋण संवितरण बैंक शाखा/पैक्स फसल बीमा के लिए किसान द्वारा देय प्रीमियम धनराशि पर अतिरिक्त ऋण को वित्त पोषित करेंगे।

4. किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा फसल ऋणों को अनिवार्य बीमा आच्छादन के तहत रखा जाता है और बैंकों को सामान्य फसल ऋणों के मामले में घोषणाएं प्रस्तुत करने हेतु अपनी आवधिकता संबंधी अनुशासन और अंतिम तारीख के परिप्रक्ष्य में पी.एम.एफ.बी.वाई. का अनुपालन करते हुए सभी पिछले अभिलेखों और पंजिकाओं को अनुरक्षित रखना होगा। बैंक शाखा तदुपरांत किसान द्वारा यथाघोषित बुआईकृत वास्तविक क्षेत्र के आधार अथवा ऋण आवेदन में उल्लिखित क्षेत्र के दृष्टिगत बीमा योग्य फसलों के लिए आच्छादन उपलब्ध कराएंगे।

5. अपने क्षेत्राधिकार में पैक्स का मामला होने पर नोडल बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यक बैंकों की शाखाएं और आरआरबी/ अपने क्षेत्राधिकार के तहत अपनी बैंक शाखा/पैक्स से बीमा प्रस्तावों/विवरणों को समेकित करके उन्हें उस फसल विशेष और मौसम के लिए एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अंतिम तारीखों के अनुसार बीमा प्रीमियम के मामले में ब्योरों /आरटीजीएस के संप्रेषण सहित उसी बीमा कंपनी को अग्रेषित करेंगे।

चैनल भागीदारों के माध्यम से गैर ऋणी किसान (ऐच्छिक बीमा आच्छादन)

6. बीमा आच्छादन प्राप्त करने के इच्छुक किसान योजना के प्रस्ताव प्रपत्र को भरकर उसे नजदीकी बैंक शाखा अथवा प्राधिकृत चैनल भागीदार अथवा बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थों के पास जमा करेंगी।

7. यदि चैनल भागीदार कोई बैंक है तो किसान अपेक्षित प्रीमियम राशि के साथ वाणिज्यिक बैंक की ग्राम शाखा अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा पैक्स में विधिवत भरे गए प्रस्ताव प्रपत्र को जमा करेंगे। ऐसे मामलों में बैंक खातों का परिचालन अनिवार्य है| शाखा/पैक्स के पदाधिकारी बीमा प्रस्ताव फार्म को पूरा करने तथा आवश्यक दिशानिर्देश देने में किसानों की सहायता करेंगे। प्रस्ताव और प्रीमियम प्राप्त करने के समय शाखा/पैक्स का यह दायित्व होगा कि वे बीमाकृत पात्र धनराशि और अनुप्रयोज्य प्रीमियम दर आदि का सत्यापन करें। पैक्स इसके बाद इन ब्योरों को समेकित करेगा और उन्हें संबंधित नोडल बैंकों को सीधे-सीधे भेजेगा जो आगे की कार्रवाई करते हुए उसे विनिर्धारित समय के भीतर प्रीमियम सहित विनियत प्रपत्र में फसलवार और बीमा इकाईवार बीमा घोषणाओं को बीमा कंपनी में जमा करेंगे। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी की बैंक शाखाएं विनियम समय के भीतर फसल पोर्टल पर दिए गए प्रपत्र में बीमाकृत किसानों के ब्योरों सहित समेकित प्रस्तावों को सीधे-सीधे जमा करेंगे।

8. गैर ऋणी कृषक भी इस प्रयोजनार्थ आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा अनुमोदित किसी विनियत अभिकरण, अन्य प्राधिकृत चैनल भागीदार अथवा बीमा मध्यस्थ के द्वारा सीधे संबंधित सेवा ले सकेंगे। वे किसानों को इस संबंध में मार्गदर्शन एवं सहायता देंगे, वे उन्हें योजना के लाभों व वांछनीयता से अवगत कराते हुए संबंधित प्रक्रियाओं के लिए मार्गदर्शन करेंगे। वे अपेक्षित प्रीमियम प्राप्त करके उसे वैयक्तिक प्रस्ताव प्रपत्रों तथा घोषणाओं/सूचीकृत पत्रक में दिए गए सार ब्योरों के साथ बीमा कंपनी को वैयैक्तिक/समेकित प्रीमियम संप्रेषित करेंगे। प्रत्येक

बीमाकृत किसान का कार्यान्वयन अभिकरण और संबंधित विवरण साफ्टकॉपी में उपलब्ध कराकर उसे फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

9. उपर्युक्त आई.आर.डी.ए. द्वारा अनुमोदित नामित एजेंटों, अन्य प्राधिकृत चैनल भागीदार अथवा बीमा मध्यस्थों से प्रस्ताव एवं प्रीमियम प्राप्त करते समय **बीमा कंपनी अथवा उसके द्वारा विनियत एजेंटों का यह दायित्व होगा कि वे बीमा हित का सत्यापन करते हुए भू-अभिलेख, रकबा का विवरण, बीमाकृत राशि, बोई गई फसल आदि और किसानों/ काश्तकारों के हिस्से के मामले में लागू संविदा/ करार के विवरण को सत्यापित करें।** नामित मध्यस्थ 07 दिन के भीतर समेकित प्रस्ताव सहित प्रीमियम जमा कराएंगे। तथापि नामित मध्यस्थों द्वारा लाभांवित गैर ऋणी प्राप्त काश्तकारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे दावा देय होने की स्थिति में दावा राशि के सम्प्रेषण को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ उनका एक बैंक खाता हो।

<u>गैर ऋणी किसानों (ऐच्छिक बीमा आच्छादन) की प्रत्यक्षत: बीमा कंपनियों तक पहुंच</u>

10. गैर ऋणी किसान वैयक्तिक रूप से अथवा अपेक्षित प्रीमियम के साथ डाक के द्वारा बीमा कंपनी को बीमा प्रस्ताव भेज सकते हैं। गैर ऋणी किसान संबंधित बीमा कंपनी के ऑन लाइन पोर्टल के द्वारा अथवा इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा विनियत फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से भी बीमा करा सकते हैं। तथापि यह अनिवार्य होगा कि वैयक्तिक रूप से अथवा फसल बीमा कंपनी अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले गैर ऋणी अपनी बीमा हित जो कि एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य (जैसे आवेदन की मुद्रित प्रति प्रीमियम संप्रेषण ब्योरे सहित) के साथ प्रस्तुत करें। यदि उसके द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र में दिए गए तथ्य गलत अथवा त्रृटिपूर्ण होंगे बीमाकृत किसान के प्रीमियम और उसके दावे के अधिकार को (यदि कोई हो) जब्त कर लिया जाएगा।

11. यदि प्रस्ताव पत्र अपूर्ण है, आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नहीं है, या सामान्य बीमा प्रीमियम नहीं है तो बीमा कंपनियों को प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख से 01 माह के भीतर, प्रस्ताव पत्रों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है| प्रस्ताव अस्वीकृत होने की स्थिति में पूर्ण एकत्रित प्रीमियम बीमा कंपनी वापस करेगी ।

फसल का नाम बदलने के लिए विकल्प

12. स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त किसान फसल आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए वास्तविक बुआई/ रोपण प्रक्रिया से पूर्व बीमा खरीद सकते हैं। तथा पूर्व नियोजित फसल बदले जाने की स्थिति में किसान को उसकी सूचना वित्तीय संस्थान/ चैनल भागीदार/ बीमा मध्यस्थ के माध्यम से या सीधे राज्य के संबंधित ग्राम/ उप जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत बुआई प्रमाण पत्र सहित, यदि कोई है, प्रीमियम में देय धनराशि की भिन्नता अंकित करते हुए जैसा भी मामला हो बीमा खरीद अथवा बुआई की अंतिम तारीख से पूर्व कम से कम 30 दिनों के भीतर बीमा कंपनी को देनी होगी। पहले दिया हुआ प्रीमियम अधिक होने की स्थिति में, बीमा कंपनी अतिरिक्त प्रीमियम को वापस करेगी।

इसी प्रकार ऋणी किसान ऋण आवेदन में प्रस्तुत मूल फसलों से बीमाकृत फसल के नाम को भी बदल सकते हैं। तथापि ऐसे परिवर्तनों को उचित समय पर संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए ताकि प्रस्तावित फसलों को बीमाकृत किया जा सके। तथापि बुआई प्रमाण पत्र को जमा किए बिना अधिसूचित फसलों को गैर अधिसूचित फसलों में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी। बैंक यह सुनिश्चित करेंगें कि निर्धारित अंतिम तारीख के भीतर अधिसूचित फसलों के लिए संस्वीकृत सभी मानक ऋण अनिवार्य रूप से आच्छादन किए जाएं।

13. अंतिम तारीख के बाद बैंको/पैक्स से प्राप्त घोषणाएं/प्रस्तावों को निरस्त कर दिया जाएगा और घोषणाओं से सम्बंधित दायित्व, यदि कोई है, संबंधित बैंक पर होगा। इसलिए बीमा आच्छादन से संबंधित आखिरी तारीख के बाद बैंकों/पैक्स को कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। बैंकों/पैक्स को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रीमियम राशि सहित समेकित विवरण विनिर्धारित समय के भीतर बीमा कंपनी को भेजा जाए, ऐसा न होने पर वे किसानों को दावों के भुगतान, यदि कोई है, के जिम्मेदार होंगे। तथापि, इस मामले में कोई विवाद होने पर उसे संबंधित राज्य/अभिकरण द्वारा विभाग को भेज दिया जाएगा।

14. पैक्स के मामले में डीसीसीबी/नोडल बैंको और संबंधित शाखाएं अपेक्षित ब्योरों यथा नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, ग्राम, श्रेणी - छोटे और सीमांत/अ.जा./अ.ज.जा./महिला, बीमाकृत क्षेत्र, बीमाकृत भूमि का विवरण, बीमाकृत फसल/फसलें, बीमाकृत धनराशि, एकत्रित प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी आदि जैसे अपेक्षित विवरण सहित वैयक्तिक बीमाकृत किसानों

(ऋण प्राप्त और गैर ऋण प्राप्त किसानों दोनों) की सूची संबंधित शाखा से सॉफ्ट कापी में प्राप्त करके उसे बीमा कंपनी को मिलान करने के लिए प्रस्ताव/घोषणा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को भेजने के साथ-साथ उसे फसल बीमा पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे। फसल बीमा पोर्टल से संबंधित इसी मानक प्रपत्र को उपयोग में लाया जाएगा।

15. इसी प्रपत्र में चैनल भागीदार से गैर ऋणी किसानों से सम्बंधित अपेक्षित सूचना बीमा कंपनियों द्वारा भी एकत्र की जा सकती है। यह संबंधित बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे बैंक/वित्तीय संस्थाओं/मध्यस्थों/एजेंटों से बीमाकृत (ऋणी एवं गैर ऋणी) किसानों के ब्योरे एकत्र/प्राप्त करके उन्हें बैंकों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड कराएं।

16. बीमा कंपनियों को किसानों/फसलों की बीमा आच्छादन सत्यापन कार्य करने के साथ-साथ स्वयं संतुष्ट होना होगा और उन्हें योजना के तहत सब्सिडी की अंतिम किस्त जारी करने के लिए सरकार के पास जाने से पूर्व एक माह के भीतर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

XI. <u>नुकसान का निर्धारण /उपज में कमी</u>

<u>व्यापक आपदाएं (मौसम की अन्तिम उपज पर आधारित)</u>

1 इस योजना को व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फसल से संबंधित क्षेत्रीय दृष्टिकोण के आधार अर्थात परिभाषित क्षेत्र पर संचालित किया जाता है और प्रमुख फसलों के लिए बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत और अन्य फसल के लिए राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकार द्वारा यथानिर्णित ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर के आकार से बड़े आकार की इकाई हो सकती है। फसल कटाई प्रयोग का पर्यवेक्षण करने वाले राज्य सरकार का विभाग वैयक्तिक फसल कटाई प्रयोग के निष्कर्षों सहित एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख के अनुसार उपज संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करेगा। उपज आंकड़ों को कुल संचालित फसल कटाई प्रयोग के आधार पर अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों तथा निर्धारित अंतिम तारीखों के अनुसार राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य सरकार द्वारा बीमा कपनी को भेजा जाएगा।

2 फसल कटाई प्रयोग प्रति फसल प्रति बीमा इकाई क्षेत्र को क्रमिक रूप से कम होते मान पर निम्नवत किया जाएगा :-

क्र.सं.	**फसल कटाई प्रयोग के बीमा इकाई का स्तर**	**न्यूनतम नमूना आकार**
1	जिला	24
2	तालुका/तहसील/ ब्लॉक	16
3	मंडल/फिरका/राजस्व सर्किल/होबली अथवा कोई अन्य समकक्ष इकाई	10
4	ग्राम/ग्राम पंचायत	4 प्रमुख फसलों के लिए और 8 अन्य फसलों के लिए

3. फसल आकलन की प्रभावी कार्य पद्धति के रूप में फसल कटाई प्रयोग की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाए जाएंगे:-

क) राज्य आवश्यक जांच पड़ताल के साथ फसल कटाई प्रयोग से संबंधित लेखा परीक्षा निष्पादन प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा। जीओ कोडिंग (फसल कटाई प्रयोग अवस्थिति से संबंधित विक्षेप और अक्षांश और देशांतर विवरण प्रस्तुतिकरण) तारीख/समय सहित रेखान्तित और चित्र के साथ (फसल कटाई प्रयोग प्लाट और फसल कटाई प्रयोग क्रियाकलाप) सहित फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया के अंकीकरण हेतु सभी फसल कटाई प्रयोग के लिए अनिवार्य है (पैरा 7 देखें)।

(ख) जब कभी बाहरी संस्थाओं से फसल कटाई प्रयोग (फसल कटाई प्रयोग बाहय संसाधनकृत हैं) करने के लिए कहा जाए तो उसे कृषिगत फील्ड क्रियाकलापों/उपज आकलनों में पर्याप्त अनुभव रखने वाले पंजीकृत व्यावसायिक अभिकरणों को दिया जाए। इन अभिकरणों के लिए अनिवार्य है कि वे पूर्व पैराग्राफ में उल्लिखित अंकीय नवाचारों का अनुसरण करें। ऐसे अभिकरणों की सेवाओं का उपयोग फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान और स्थानीयकृत जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाए।

(ग) राज्य फसल कटाई प्रयोग की एकांश श्रृंखला को अनुरक्षित रखेंगे, अर्थात फसल उत्पादन आकलन और फसल बीमा दोनों के लिए एक सामान फसल कटाई प्रयोग और उपज आकलनों का उपयोग किया जाएगा।

(घ) उन मामलों में जहां पर्याप्त फसलकृत क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं किए जा सके हैं वहां ऐसे बीमा इकाई का उपज अनुमान (i) निकटवर्ती/सांसंर्गिक इकाई को मिलाकर अथवा (ii) अगले उच्चतर इकाई के उपज अनुमान का अंगीकरण अथवा (iii) अधिकतम सह-संबंधन सहित नजदीक की बीमा इकाई की उपज का अंगीकरण जैसी कार्य पद्धतियों को अपनाकर किया जा सकता है। उपर्युक्त तीनों कार्य पद्धतियों की अनुप्रयोज्यता संबंधी प्राथमिकता को संबंधित राज्यों द्वारा अग्रिम समय पर अधिसूचित किया जाना चाहिए।

(ड.) बीमा इकाई स्तर पर उपज अनुमान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनियों को वैयक्तिक फसल कटाई प्रयोग के निष्कर्षों सहित अंतिम तारीख के भीतर प्रस्तुत करने होंगे।

(च) राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को अपेक्षित प्रपत्र में फसल कटाई प्रयोग की अंकीय छवियों और संबद्ध आंकड़ों सहित फसल कटाई प्रयोग के सह साक्ष्य के प्रति पूर्ण पहुंच दी जानी चाहिए (पैरा XXIV.2m मे यथा रेखांकित)। अनुसूची सहित एक औपचारिक पत्र बिना चूक किए पर्याप्त अग्रिम रूप से कार्यान्वयन अभिकरण को इस आशय के साथ दिया जाए कि वे उनके द्वारा ऐसी इच्छा अभिव्यक्त किए जाने पर अपनी मानव शक्ति को फसल कटाई प्रयोग सह साक्ष्य के लिए उपलब्ध करा सकें।

(छ) जहां कहीं बीमा इकाई स्तर पर उपज अनुमान सामान्य फसल दशा के सापेक्ष कम अथवा अधिक हों, वहां बीमा कंपनी राज्य सरकार के परामर्श से उपज अनुमानों की संपुष्टि करने के प्रयोजनार्थ कृत्रिम उपग्रह छवि आंकड़ों अथवा अन्य प्रौद्योगिकियों से प्राप्त विभिन्न उत्पादों (अर्थात् सामान्यकृत वनस्पति अंतर सारणी आदि) का उपयोग कर सकती हैं। इन दोनों उपज अनुमान के बीच अधिक भिन्नता होने की स्थिति में इस मामले को केंद्र में तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) को भेजा जाए, उनके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए महालोबेनिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एम.एन.सी.एफ.सी.) की सेवाएं तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) द्वारा ली जायेंगी| एम.एन.सी.एफ.सी. उपर्युक्त दोनों अनुमानों का परीक्षण करने के बाद फसल मौसम संबंधी

प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित मानदंडों का इस्तेमाल करते हुए बीमा इकाई के लिए अनुमानित उपज पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा।

4. फसल कटाई प्रयोग के तर्कसंगत व्याख्या के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल

उच्च समाधान छवियों के साथ कई कृत्रिम उपग्रहों की उपलब्धता के दृष्टिगत कृत्रिम उपग्रह संकल्पनात्मक उत्पादों में पर्याप्त सुधार हुआ है। यह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुका है कि कृत्रिम उपग्रह प्रतिकृति फसल स्वास्थ्य आधार पर फसलकृत क्षेत्र को समूहों में सीमाबद्ध कर सकती है। इस युक्ति का उपयोग बीमा इकाई के भीतर फसल कटाई प्रयोग को लक्षित करते हुए सफलता के साथ किया गया है। दूसरे शब्दों में कृत्रिम उपग्रह संकल्पना फसल कटाई प्रयोग **के स्मार्ट नमूनाकरण** में सहायता कर सकती है। विषम फसल स्वास्थ्य के साथ बीमा इकाई को फसल कटाई प्रयोग के मानक नमूने अर्थात प्रति ग्राम/प्रति ग्राम पंचायत 4 फसल कटाई प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है, वहीं अधिक समरूप बीमा इकाई को निम्नतर नमूना आकार 2 फसल कटाई प्रयोग की आवश्यकता होगी। इस प्रकार यह अपेक्षा की जाती है कि लगभग 30-40 प्रतिशत द्वारा अपेक्षित कुल फसल कटाई प्रयोग कम की जा सकती है। राज्य पूर्ववर्ती पैराग्राफों में रेखांकित अंकीय नवाचार का अनुसरण करते हुए उपज अनुमान सृजित करने में इस तकनीक (फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित आयोजन हेतु कृत्रिम उपग्रह आधारित दूरस्थ संवेदी आंकड़ों का उपयोग करके) को अपना सकते हैं। स्मार्ट नमूनाकरण के लिए कृत्रिम उपग्रह आंकड़ों का उपयोग करने के प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट फसल मानचित्र बनाने की आवश्यकता है। फसलकृत क्षेत्र के संगणन के लिए वनस्पति चिन्हन की आवश्यकता होती है। वनस्पति सारणी के आधार पर फसल क्षेत्र को कमजोर, मध्यम और बहुत अच्छे फसल स्वास्थ्य वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक वर्ग के भीतर फसल कटाई प्रयोग बिंदुओं को अनायास रूप में चयन किया जाए। ऐसा एम.एन.सी.एफ.सी. और आई.ए.एस.आर.आई. के परामर्श से किया जा सकता है।

5. बीमा आच्छादन में क्षेत्र संबंधी विसंगति समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग

ऐसा देखा गया है कि राज्यों/जिलों में कुछ मामलों में बीमाकृत क्षेत्र बोए गए क्षेत्र की अपेक्षा काफी कम है जिसके कारण बीमाकृत राशि में कमी की जाती है जिससे किसानों के दावे

घटा दिये जाते है। क्षेत्र संबंधी विसंगति को कम करने के लिए आर.एस.टी./कृत्रिम उपग्रह संकल्पना, भू-अभिलेख अंकीकरण युक्तियों को संवर्धित किया जा सकता है (पैरा XVII.4)।

6. प्रत्यक्ष उपज अनुमान के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग

क) फसल कटाई प्रयोग की विश्वसनीयता संबंधी समस्या, उनकी सटीक स्थिति और संचालन गति का निदान करने के लिए आर.एस.टी., ड्रोन, ऑनलाइन डाटा प्रेषण आदि नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। इससे सही मूल्यांकन होने के साथ किसानों के दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। इस संबंध में विश्व बैंक और कुछ प्रायोगिक आधारों को दृष्टिगत रखते हुए एम.एन.सी.एफ.सी. ने सिफारिश की थी कि जीपीएस समय/तिथि मौद्रीकरण सहित सचल संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वास्तविक समय पर फसल कटाई प्रयोग आंकड़ों के साथ संप्रेषण एवं विभिन्न अवस्थाओं में फसल प्रगति से सम्बंधित छवियों/वीडियो चित्रों से डाटा गुणवत्ता/लक्षित समय में सुधार होने के साथ-साथ दावों का समय पर संसाधन करते हुए उनके भुगतान में सहायता मिल सकती है। यह विभाग निम्नतर इकाई स्तर पर फसल हानि के मूल्यांकन हेतु इस संबंध में ऐसे अध्ययन संचालित कर रहा है।

ख) पर्याप्त संख्या में प्रायोगिक कार्यक्रम चलाने के बाद जब आर.एस.टी./कृत्रिम उपग्रह छवि से प्राप्त उत्पादों के बीच सुदृढ़ सह संबंधन का निष्कर्ष सामने आएगा और फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से उपज आकलन से स्पष्ट होगा तब राज्य और बीमा कंपनियां दावों की सेवा देने और उपज अनुमानों की सटीकता के बारे में राज्यों और बीमा कंपनियों दोनों के संतुष्टिकरण के अध्याधीन बीमा इकाई स्तर पर फसल उपज का आकलन करने के लिए इन प्रौधोगिकियों का उपयोग कर सकते हैं।

7. उपज डाटा से संबंधित गुणवत्ता और समय निर्धारण में सुधार लाने के लिए मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी का उपयोग

ऐसा महसूस किया गया है कि उपज आकलन के लिए राज्य द्वारा इस समय संचालित की जा रही फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया में विश्वसनीयता, सटीकता और गति की कमी है जिसके कारण दावों से संबंधित निपटान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए गुणवत्तायुक्त और विश्वसनीय उपज आंकड़ों की आवश्यकता है। फसल कटाई प्रयोग आंकड़ों की विश्वसनीयता, सटीकता और गति को बढ़ाने तथा फसल कटाई प्रयोग की छवियों,

स्थितियों का पता लगाने, केंद्रीयकृत सर्वर (उदहारण भुवन सर्वर) पर आंकड़ों के ऑनलाइन संप्रेषण के प्रयोजनार्थ स्मार्ट फोनों/हस्तधारित युक्तियों के अनिवार्य उपयोग से दावों के शीघ्र निपटान और आंकड़ों के द्रुत समेकन में सहायता मिलेगी। फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से उपज अनुमान संबंधी गति और सटीकता बढ़ाने के प्रयोजनार्थ आर.एस.टी. और ड्रोनों आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

8. फसल कटाई प्रयोग प्रक्रिया के निष्पादन में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी की लागत जो कि विशेषतया स्मार्टफोनों/हस्तचालित युक्तियों की खरीद से संबंधित है केन्द्र सरकार तथा राज्य/केन्द्र. शासित राज्य की सरकार 50:50 के अधार पर वहन करेंगी| स्मार्टफोनों/हस्तचालित युक्तियों तथा अन्य की खरीद की अनुमानित लागत केन्द्र सरकार के पास कुल उपलब्ध फण्ड (कैपिंग लागू) से आवश्यकतानुसार प्रदान की जाएगी|

9. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई.ए.एस.आर.आई.), राज्य दूरस्थ संवेदी केंद्र, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.), केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग और बीमा कंपनी (ए.आई.सी.) के प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाई गई तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) समय समय पर फसल कटाई प्रयोग के नमूना आकार की समीक्षा कर सकती है। तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.), फसल कटाई प्रयोग से संबंधित किसी अन्य तकनीकी मामले और उपज आंकड़ों को समय पर प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया की भी समीक्षा करेगी।

दावों का निर्धारण (व्यापक आपदाएं)

10. बीमित फसल मौसम में बीमा इकाई (फसल कटाई प्रयोगों की अपेक्षित संख्या के आधार पर संगणित) के लिए बीमाकृत फसल की प्रति है| वास्तविक उपज विनिर्दिष्ट थ्रेशहोल्ड उपज के सापेक्ष कम पड़ती है तो परिभाषित क्षेत्र में उस फसल को उगाने वाले सभी बीमाकृत किसान उपज में उसी मात्रा की कमी से पीड़ित माने जाएंगे। पी.एम.एफ.बी.वाई. ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए बीमा आच्छादन प्रदान करना चाहती है।

दावा निम्नांकित सूत्र के अनुसार संगणित किया जाएगा :-

$$\frac{\text{(थ्रेशहोल्ड उपज - वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times \text{बीमाकृत राशि}$$

जहां किसी अधिसूचित बीमा इकाई में फसल की थ्रेशहोल्ड उपज पिछले 7 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अधिकतम 2 आपदा वर्षों को छोड़कर) एवं उस फसल के क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी।

11. उदहारण

रबी 2014-15 फसल मौसम के लिए टीवाई से संबंधित एक्स संगणन बीमा इकाई क्षेत्र हेतु पिछले 7 वर्षों के लिए गेहूं की परिकल्पित उपज नीचे सारणी में दी गई है :-

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
उपज(क्रिग्रा/है0	4500	3750	2000	4250	1800	4300	1750

वर्ष 2010-11, 2012-13 और 2014-15 को प्राकृतिक आपदा वर्ष घोषित किया गया था।

सात वर्षों की कुल उपज प्रति हैक्टेयर 22350किग्रा. है और दो सर्वाधिक खराब आपदा वर्षों की प्रति हैक्टेयर 3550 कि.ग्रा. अर्थात (1800+1750) कि.ग्रा. है। इस प्रकार, की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकतम दो आपदा वर्षों को छोड़कर पिछले 7 वर्षों की औसत उपज 22350-3550 = 18800/5 अर्थात 3760 किग्रा. प्रति हैक्टेयर है। इस प्रकार, क्षतिपूर्ति स्तर 90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के लिए थ्रेशहोल्ड उपज क्रमश: 3384, 3008 और 2632 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है।

XII. मध्यावधि मौसम प्रतिकूलताओं के कारण दावों का अग्रिम भुगतान के संबंध में

1. फसल मौसम में मौसमी दशाओं अर्थात बाढ़, दीर्घकालिक शुष्क मौसम और कठोर सूखे आदि जिसमें प्रारंभिक फसल 50 प्रतिशत से कम होने की संभावना है, के मामले में बीमाकृत किसान को तत्काल राहत दिया जाना प्रस्तावित है।

क. पात्रता मानदंड

i. यह प्रस्ताव है कि बीमित किसान को फसल मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों (यथा बाढ़, दीर्घकालिक, शुष्क अवधि एवं भयंकर सुखा आदि) की स्थिति में जब अनुमानित उपज थ्रेशहोल्ड उपज से 50% से भी कम हो तो तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाये|

ii. प्रावधानकर्ता परोक्षी संकेतकों के अधार पर नुकसान अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है|

iii. अधिसूचित बीमा इकाई में एक विशिष्ट फसल या फसलों के समूह के लिए प्रावधान लागू किया जा सकता है|

iv. बीमा कंपनी संभावित नुकसान का बीमा कंपनी और राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण के आधार परअग्रिम भुगतान किए जाने वाली धनराशि का निर्णय करेगी।

v. इस बीमा आच्छादन के तहत वित्तीय सहायता के पात्र केवल वही किसान होंगे जिन्होंने मुआवजे के लिए इस प्रावधान के लागू होने के लिए राज्य सरकार द्वारा क्षति अधिसूचना से पहले प्रीमियम अदा कर दिया है अथवा, खाते से प्रीमियम काट लिया गया है|

vi. अधिकतम देय धनराशि संभावित दावों की 25 प्रतिशत राशि हो सकती है, जो की अंतिम दावों के (विरूद्ध) समायोजन के अधीन होगी|

vii. सामान्य फसल कटाई समय से पूर्व 15 दिनों के भीतर प्रतिकूल स्थिति होने पर, यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

ख. परोक्ष - संकेतक: नुकसान संबंधी सूचना के उपयोगार्थ संकेतक वर्षा संबंधी आंकड़ें, मौसम संबंधी आंकडें, कृत्रिम उपग्रह संकल्पनाएं और मीडिया रिपोर्टों द्वारा समर्थित राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा दी गयी फसल संबंधी परिस्थिति हो सकते हैं। इस संबंध में राज्य द्वारा जारी अधिसूचना में ये सभी आवश्यक ब्योरे इंगित होने चाहिए।

ग. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

i. राज्य सरकार की संयुक्त समिति और फसल क्षति से संबंधित मूल्यांकन बीमा कारक प्रत्येक जिले के लिए एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा फसल अवधि शुरू होने से पहले स्थापित एवं अधिसूचित किया जाना है।

ii. संयुक्त समिति अग्रिम भुगतान की पात्रता का निर्णय मौसम संबंधी आकड़े (सरकार द्वारा अधिसूचित उपलब्ध स्वचालित मौसम केंद्र)/दीर्घाकालिक औसत वर्षा आंकड़े/कृत्रिम उपग्रह चित्र आंकड़े और अधिसूचित बीमा इकाई स्तर पर अनुमानित उपज नुकसानों द्वारा अनुसमर्थित विवरण के आधार पर लेगी। नुकसान से संबंधित सूचना आदेश प्रतिकूल मौसमी अवधि से सात दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

iii. उपर्युक्त विवरण को दृष्टिगत रखते हुए, प्रभावित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण बीमा कंपनी एवं राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा आधारभूत कारक जानने हेतु और नुकसान की सीमा जानने के लिए किया जा सकता है।

iv. अग्रिम भुगतान के लिए नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए महालेनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एम.एन.सी.एफ.सी.) की सूचना/सेवाओं का भी उपयोग किया किया जा सकता है।

v. यदि प्रभावित फसल का अपेक्षित नुकसान अधिसूचित बीमा इकाई के सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से अधिक है, तो अग्रिम भुगतान किया जाएगा।

vi. अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया को निम्नांकित सूत्र के अनुसार संकलित किया जाएगा:

(थ्रेशहोल्ड उपज- अनुमानित उपज)

थ्रेशहोल्ड उपज X बीमाकृत धनराशि X25%

घ. हानि मूल्यांकन और विवरण प्रस्तुति के लिए समय सीमा

i. प्रतिकूल मौसम की स्थिति होने से लेकर सात दिनों के भीतर क्षतिग्रस्त बीमा इकाईयों के विवरण के साथ अग्रिम भुगतान की परिभाषित पात्रता के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।

ii. प्रतिकूल मौसम होने से 15 दिनों के भीतर संयुक्त समिति द्वारा प्रभावित बीमा इकाई स्तर पर हानि मूल्यांकन विवरण पूरी की जानी है।

ड.) शर्तें

i. आपदा अधिसूचना से पूर्व प्रीमियम की प्राप्ति/ खाते से कटौती किए बिना ऋण का मात्र संवितरण/संस्वीकृति के आधार पर ही ही किसान दावे का पात्र नहीं होगा

ii. प्रीमियम सब्सिडी के सरकारी भाग की प्राप्ति के बाद ही बीमा कंपनी द्वारा ही अग्रिम भुगतान का निपटान किया जाएगा

iii. इस प्रावधान के लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के एक महीने के भीतर बशर्ते राज्य सरकार से नुकसान का विवरण प्राप्त हो गया हो सभी पात्र बीमाकृत किसानों के खाते में भुगतान किया जाएगा।

iv. मौसम के अंत में इन अग्रिम दावों को क्षेत्र दृष्टिकोण में उपज आधारित दावों से समायोजित किया जाएगा|

2. **स्पष्टीकरण:**

जिला 'ए' बाढ़ से प्रभावित हुआ जिसकी 100 बीमा इकाई फसल xx के अंतर्गत है| जिनमें से 50 बीमा इकाई बुरी तरह प्रभावित हुए थे और मौसम संकेतकों /कृषि आंकड़ों के अनुसार मूल्यांकन किया गया है कि 30 बीमा इकाई 50 प्रतिशत से अधिक उपज नुकसान से ग्रस्त है (थ्रेशहोल्ड उपज की तुलना में) इन 30 बीमा इकाईयों मे से पांच इकाई के लिए अनुमानित उपज नुकसान 80 प्रतिशत (श्रेणी-I), दूसरे 10 इकाईयों के लिए 70 प्रतिशत (श्रेणी-II) और शेष 15 इकाईयों के लिए सामान्य औसत उपज 60 प्रतिशत (श्रेणी-III) है। प्राप्त घोषणाओं के अनुसार, यदि श्रेणी-I, श्रेणी-II और श्रेणी-III में अधिसूचित क्षेत्रों के लिए बीमाकृत राशि क्रमश: 1 करोड़ रू., 2 करोड़ रू. और 3 करोड़ रू. है, तो संभावित कुल दावों की राशि क्रमश: 80 लाख रू., 140 लाख रू. और 180 लाख रू. होगी। इसलिए 25 प्रतिशत तक खातों पर दावे 25 प्रतिशत अर्थात क्रमश: 20 लाख रू., 35 लाख रू. और 45 लाख रू. होंगे, जिन्हें उसी मौसम के दौरान निर्मुक्त किया जाएगा बशर्ते प्रीमियम सब्सिडी दे दी गयी हो।

XIII. बाधित /निष्फल बुआई और बाधित रोपण/अंकुरण दावे

1. संबंधित पात्र जोखिमों (पैरा iv.1.क) की व्यापतता के कारण अधिसूचित इकाई में बोए गए क्षेत्र के 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में प्रभावित फसलों के सम्बन्ध में प्रारंभिक स्थिति में फसल का पूर्ण नुकसान होने अथवा किसानों द्वारा फसल बुआई अथवा रोपण प्रक्रिया में असमर्थता होने पर बीमा आच्छादन उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

इस बीमा आच्छादन से संबंधित पूर्व शर्त सामान्य बुआई प्रक्रिया शुरू होने से पहले योजना से सम्बंधित अधिसूचना जारी करना तथा बैंकों से प्राप्त बीमा आच्छादन का विवरण संबंधित बीमा कंपनी को दिया जाना है।

क) **पात्रता मानदंड:**

I. राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर मौसम की शुरूआत में बोए गए अधिसूचित बीमा इकाई और फसलवार सामान्य बुवाई क्षेत्र उपलब्ध कराएगी।

II. उपर्युक्त जोखिमों में से किसी के भी होने पर अधिसूचित फसल के लिए फसल बुवाई क्षेत्र का 75 प्रतिशत से अधिक गैर बुआईकृत होने पर अधिसूचित बीमा इकाई ''बाधित बुआई/ रोपण'' के अंतर्गत भुगतान के पात्र होंगे।

III. इस प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा संकेतकों/परोक्ष संकेतकों के आधार पर, दी गई अधिसूचना के आधार पर अभिविनिर्दिष्ट किया जाता है।

IV. इस बीमा आच्छादन के तहत वित्तीय सहायता के पात्र केवल वे ही किसान होंगे जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा यह प्रावधान लागु करने के लिए क्षति संबंधी अधिसूचना के पूर्व अपना प्रीमियम अदा कर दिया है/ उनके खाते से प्रीमियम ले लिया गया है। राज्य सरकार फसलवार और कृषि - जलवायुवार अंचल एवं जिलावार अंतिम तारीखों जिनके माध्यम से इस प्रावधान को अभिविनिर्दिष्ट किया गया है, को अधिसूचित करेंगे।

ख. **परोक्ष संकेतक:** वर्षा संबंधी आंकड़ें, अन्य मौसम संबंधी आंकडे, कृत्रिम उपग्रह चित्र और जिला स्तर पर राज्य सरकार के, अधिकारी द्वारा दी गई फसल संबंधी विवरण, मीडिया संबंधी रिपोर्टें और राज्य सरकार द्वारा निर्मुक्त बुआईकृत आंकड़ों से संबंधित क्षेत्र इसमें शामिल होंगे।

ग. हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

I. राज्य सरकार बाधित अथवा निष्फल बुआई/ रोपण परिस्थितियों के तहत अनुमानित क्षतिग्रस्त क्षेत्रों को इकाई की प्रतिशतता के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचित बीमा इकाई की घोषणा करेगी।

II. इस बीमा योजनाओं के तहत भुगतान बीमाकृत धनराशि का लगभग 25 प्रतिशत होगा तथा बीमा आच्छादन को समाप्त कर दिया जाएगा।

घ. शर्तें :

I. बीमा आच्छादन केवल प्रमुख फसलों के लिए होगा ।

II. आपदा संबंधी अधिसूचना से पहले प्रीमियम की प्राप्ति/उसे खाते से कटौती किए बिना ऋण का मात्र संवितरण/ संस्वीकृति से किसान दावे का पात्र नहीं होगा।

III. बीमा कंपनी के राज्य द्वारा जारी आदेश/अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान करेगी बशर्ते अनुमानित बुआईकृत क्षेत्र का विवरण की उपलब्ध कराए गए बीमाकृत जोखिम विवरण राज्य सरकार से प्राप्त हो चूका हो।

IV. बीमा कंपनी द्वारा बीमा आच्छादन के तहत भुगतान प्रीमियम सब्सिडी के सरकारी भाग की प्राप्ति के बाद ही किया जाएगा।

V. इस धारा के तहत एक बार दावा हो जाने पर अधिसूचित बीमा इकाई के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित फसल का बीमा आच्छादन समाप्त हो जाएगा और प्रभावित बीमा इकाई/फसल मौसम के अंत में क्षेत्र उपज आधारित संगणित दावों पात्र नहीं होंगे।

VI. इस प्रावधान को राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अंतिम तारीख के भीतर लागू किया जाएगा। इस तारीख के बाद लागू किए जाने पर कोई भी दावा राशि नहीं दी जाएगी।

VII. एक बार ऐसा प्रावधान होने पर प्रभावित अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए किसानों का कोई भी नया नामांकन नहीं किया जाएगा।

VIII. एक बार आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर यह उन किसानों की फसलों सहित जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने से बच गई हैं, निर्धारित फसल के अधिसूचित बीमा इकाई में सभी बीमाकृत किसानों पर लागू होगी।

2 <u>व्याख्या</u>

100 बीमा इकाईयों सहित जिला ख फसल मौसम शुरू होने पर सूखे से प्रभावित हुआ है जिसकें फलस्वरूप 20,000 रु. की प्रति है0 बीमाकृत राशि वाली मूंगफली फसल के लिए लगभग 50 प्रतिशत बीमा इकाईयों में लगभग 80 प्रतिशत क्षेत्र में बुआई नहीं की जा सकी है। बाधित बुआई के लिए भुगतान किए जाने संबंधी प्रावधान के अनुसार भुगतान किए जाने वाला लाभ बीमाकृत राशि x 25 प्रतिशत जो न बोए जा सकने वाले 75 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र के साथ 50 बीमा इकाईयों में बीमाकृत 20,000 रु. की बीमाकृत राशि से 5,000 रु. की राशि तक सीमित है।

XIV. <u>फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान</u>

1. संपूर्ण देश में चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा और गैर मौसमी वर्षा होने की स्थिति में वैयक्तिक भूखंड के आधार पर विशुद्वत: सुखाने के प्रयोजन से कटी हुई फसल का अधिकतम 2 सप्ताह की अवधि (14 दिन) तक खेत में “कटी और फैली हुई स्थिति में” नुकसान होने पर उपज नुकसान का मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है।

क) पात्रता मानदंड

i. अधिसूचित बीमा इकाई /अधिसूचित फसल उगाने के परिप्रेक्ष्य में जिसके लिए बीमा अर्जित किया गया है, के उपर्युक्त जोखिमों द्वारा प्रभावित कृषि क्षेत्र इकाई स्तर पर सभी बीमाकृत किसान इसके पात्र हैं।

ii. विनिर्दिष्ट जोखिमों से क्षतिग्रस्त ऐसी सभी फसलें जो की सुखाने के लिए खेत में "कटी और फैली हुई स्थिति में" छोड़ी गई हैं फसल कटाई की तारीख से 14 दिनों की अवधि तक क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

ख) परोक्ष संकेतक: मीडिया रिपोर्टों और अन्य साक्ष्यों द्वारा समर्थित कृषि/राजस्व विभाग के विवरणों अथवा स्थानीय मीडिया के विवरण।

ग) हानि मूल्यांकन प्रक्रिया:

हानि/दावों की रिपोर्टिंग का समय एवं पद्धति

i. बीमाकृत किसान द्वारा नीचे लिखे गए विवरण के अनुसार किसी को भी तत्काल सूचना (48 घंटों के भीतर) देनी है।

ii. संबंधित सूचना में सर्वेक्षण संख्यावार बीमाकृत फसल और प्रभावति रकबा का विवरण आवश्यक रूप से होना चाहिए।

iii. किसान/बैंक द्वारा अगले 48 घंटों में बताई गई विवरण की प्रीमियम भुगतान का सत्यापन किया जाना चाहिए।

किस को सूचना दी जाए अर्थात विवरण देने का माध्यम

संबंधित किसान द्वारा सूचना 48 घंटों के भीतर सीधे बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी/जिला पदाधिकारी अथवा नि:शुल्क दूरभाष संख्या वाले फोन (दावे संबंधी सूचना/सूचनाओं के लिए केंद्रीयकृत समर्पित नि:शुल्क दूरभाष संख्या को पीछे से से संबंधित बीमा कंपनियों को भेजा जा सकता है) के द्वारा बीमा कंपनी को सूचना दी जा सकती है। सूचना का पहला माध्यम केन्द्रीकृत नि:शुल्क दूरभाष संख्या होगा| ऐसी सुविधा न होने पर बैंकों अथवा सरकारी पदाधिकारियों को विवरण दिया जा सकता है, जिसे तत्काल ही बीमा

कंपनी को अग्रेषित/सूचित कर दिया जाएगा। संबंधित बैंक यह सूचना बीमा कंपनी के पास भेजने से पहले बीमाकृत फसल, बीमाकृत राशि, खाते से कटौती किया गया प्रीमियम और खाते से कटौती की तारीख जैसे बीमाकृत ब्योरों का सत्यापन करेंगे।

दावों का मूल्यांकन करने के लिए अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य

- सभी दस्तावेजी साक्ष्यों सहित विविधवत भरे गए दावे को दावों के भुगतान के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, यदि सभी कॉलमों से संबंधित सूचना सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है, तो अर्ध रूप में भरा गया प्रपत्र बीमा कंपनी को भेज दिया जाएगा और बाद में नुकसान होने के 7 दिनों के भीतर पूर्णत: भरा हुआ प्रपत्र भेजा जा सकता है।
- नुकसान और नुकसान की गहनता संबंधी घटना, यदि कोई है, को संपुष्ट करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय अखबार की खबर की प्रति और कोई अन्य उपलब्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा।

बीमा कंपनी द्वारा नुकसान मूल्यांकन करने वालों की नियुक्ति

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों के कारण नुकसान का मूल्यांकन (उपज बीमा) करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा नुकसान मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्त किए गए नुकसान मूल्यांकनकर्ताओं के पास निम्नांकित अनुभव और अर्हताएं होनी चाहिए :

- न्यूनतम 2 वर्षों के संबंधित अनुभव के साथ स्नातक (कृषि संकाय अर्थात बीएससी (कृषि) को वरीयता दी जायेगी|
- बीएससी (कृषि) की उपाधि रखने वाले कृषि/बागवानी/विस्तार विभाग के सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी।
- फसल ऋण अथवा केसीसी का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त बैंक पदाधिकारी। उपर्युक्त उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ बीमा कंपनियां जब और जैसे आवश्यकता होने पर उनकी सेवाओं के उपयोगार्थ उपयुक्त हानि मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल बनाएगी।

नुकसान का मूल्यांकन, बिमा कंपनी द्वारा नियुक्त नुकसान मूल्यांकनकर्ता, ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी और संबंधित किसान के दल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

नुकसान मूल्यांकन की समय सीमा और विवरण की प्रस्तुति

i. सूचना प्राप्त होने की तारीख से 48 घंटों के भीतर नुकसान मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति

ii. नुकसान मूल्यांकन कार्य को अगले 10 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

iii. किसान के दावों का निपटान/भुगतान का कार्य नुकसान मूल्यांकन विवरण की तारीख से अगले 15 दिनों के भीतर (बशर्ते प्रीमियम की प्राप्ति हो चुकी हो) के भीतर किया जाए।

घ) अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत क्षेत्र का 25 प्रतिशत से अधिक होने पर अधिसूचित फसल के तहत प्रभावित क्षेत्र होने की स्थिति में सभी पात्र किसान (जिन्होंने अधिसूचित फसल के लिए बीमा लिया है और जो क्षतिग्रस्त हुआ है तथा विनिर्धारित समय के भीतर कृषिक्षेत्र में कोई आपदा के बारे में सूचना दी है) अधिसूचित बीमा इकाई में फसल कटाई उपरांत होने वाले नुकसान से ग्रस्त माने जाएंगे और उन्हें वित्तीय सहायता का पात्र माना जाएगा। नुकसान की प्रतिशतता बीमा कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण (यथा निर्धारित संयुक्त समिति द्वारा) की अपेक्षित प्रतिशतता द्वारा तय किया जाएगा।

ड.) यदि क्षेत्र दृष्टिकोण आधारित (फसल कटाई प्रयोग पर आधारित) दावा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के दावों से अधिक है तो प्रभावित किसानों को विभिन्न दावों का अंतर देय होगा। यदि फसल कटाई के बाद का दावा अधिक है, तो प्रभावित किसानों से कोई भी वसूली आदि प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

च) शर्तें :

i. बीमाकृत जोखिम का आविर्भाव होने से पहले प्रीमियम की प्राप्ति/खाते से कटौती के बिना ऋण के मात्र संवितरण/संस्वीकृति से किसान दावे का पात्र नहीं होगा।

ii. अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक प्रभावित क्षेत्र सीमित होने पर पात्र किसानों के नुकसान का मूल्यांकन वैयक्तिक रूप से किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने बीमा जोखिम होने से पहले प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो।

iii. बीमा आच्छादन के अंतर्गत प्रीमियम सब्सिडी के सरकारी भाग की प्राप्ति के बाद ही बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

iv. बीमा कंपनी नुकसान सर्वेक्षण विवरण प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर भुगतान देय होने की स्थिति में दावे का निपटान करेगी।

v. यदि इस बीमा आच्छादन के तहत किया गया दावा उपज आंकड़ों पर आधारित मौसम दावे से अधिक है तो शेष राशि को व्यापक दावों के तहत मौसम के अंत में अदा किया जाएगा।

vi. वे किसान जिन्हें नामांकित किया गया है अथवा जिनका प्रीमियम बीमा जोखिम होने के बाद खाते से कटौती किया गया है, वे इस बीमा आच्छादन के तहत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे।

2. व्याख्या

क) फसल के लिए बीमाकृत राशि = 50,000 रु.

ख) बीमा इकाई का प्रभावित क्षेत्र = 80 प्रतिशत (नमूना सर्वेक्षण का पात्र)

ग) बीमाकृत जोखिम के संचालन के कारण प्रभावित क्षेत्र/फील्डों में मूल्यांकनकृत नुकसान = 50 प्रतिशत

घ) फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान के तहत देय दावे = 50,000 रु. x 50 प्रतिशत =25,000 रु.

ङ) मौसम के अंत तक विवरणकृत उपज में कमी = 60 प्रतिशत

च) बीमा इकाई स्तर पर क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित अनुमानित दावा = 50,000 रु. x 60 प्रतिशत = 30,000 रु.

मौसम के अंत में भुगतान योग्य शेष राशि = 30,000 रु.-25,000=5,000 रु.

XV. <u>स्थानीयकृत जोखिम</u>

1. किसी अधिसूचित इकाई अथवा भूखंड के किसी भाग को प्रभावित करने वाले स्थानीयकृत जोखिम/आपदाएं अर्थात भू-स्खलन, ओला वृष्टि और जलभराव होने के कारण फसलों का नुकसान होने से वैयक्तिक कृषिक्षेत्र स्तर पर बीमा आच्छादन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

क) **पात्रता मानदंड:**

I. अधिसूचित बीमा इकाई में उल्लेखित जोखिमों के द्वारा प्रभावित कृषि क्षेत्र इकाई स्तर पर अधिसूचित फसलों का उत्पादन करने वाले सभी बीमाकृत किसानों के लिए उपलब्ध है।

II. अधिकतम दायित्व क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र से संबंधित समानुपातिक बीमाकृत धनराशि तक सीमित है। यह बुआई अवधि के दौरान निवेशित कृषि लागत और संबंधित बीमाकृत राशि के अनुपात पर आधारित होगा।

III. इस बीमा आच्छादन के तहत केवल वे ही किसान वित्तीय सहायता के पात्र होंगे जिन्होंने बीमाकृत जोखिम से पहले अपना प्रीमियम अदा कर दिया है/ उनका प्रीमियम उनके खाते से काट लिया गया है।

IV. इस प्रावधान के तहत अधिकतम भुगतान बीमाकृत धनराशि के अध्याधीन बीमाकृत जोखिम के घटित होने तक कृषि लागत के अनुपात में होगा। यदि भुगतान की जाने वाली राशि संबंधित क्षेत्र के तहत (फसल कटाई प्रयोगों आंकड़ों पर आधारित) स्थानीयकृत नुकसानों से अधिक है तो दोनों के उच्चतर दावों का भुगतान बीमाकृत किसानों को किया जाएगा।

V. यदि अधिसूचित फसल के तहत प्रभावित क्षेत्र अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमाकृत क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक है तो सभी पात्र किसान (जिन्होंने क्षतिग्रस्त अधिसूचित फसल के लिए बीमा लिया है और जिन्होंने निर्धारित समय के भीतर कृषि क्षेत्र में होने वाली आपदा के बारे में सूचित कर दिया है) अधिसूचित बीमा इकाई में स्थानीयकृत नुकसान से पीड़ित माने जाएंगें और वित्तीय सहायता के पात्र होंगे। नुकसान की प्रतिशतता का निर्णय बीमा कम्पनी द्वारा प्रभावी क्षेत्र के नमूना सर्वेक्षण (यथा निर्धारित संयुक्त समिति द्वारा) की अपेक्षित प्रतिशतता द्वारा किया जाएगा।

ख) **परोक्ष -संकेतक:** स्थानीय मीडिया में विवरण अथवा कृषि/राजस्व विभाग की विवरण

ग) नुकसान मूल्यांकन की प्रक्रिया :

नुकसान/दावों के विवरण का समय और पद्धति

i. अधोलिखित विवरण (6 क) के अनुसार बीमाकृत किसान द्वारा किसी को भी तत्काल रूप से सूचित किया जाए (48 घंटों के भीतर)।

ii. दी गई सूचना में सर्वेक्षणवार बीमाकृत फसल और प्रभावी प्रभावित रकबा का विवरण अवश्य होना चाहिए।

iii. किसान/बैंक द्वारा अगले 48 घंटों के भीतर प्रीमियम भुगतान सत्यापन की विवरण की जाए।

iv. एन.आर.एस.सी. मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए अक्षांश/देशान्तर ब्योरों और चित्रों सहित संबंधित घटनाओं की सूचना के लिए स्थानीयकृत जोखिमों की वारदातों की सूचना देने के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाए।

किसको सूचना दी जाए अर्थात विवरण देने का माध्यम

किसान द्वारा सूचना 48 घंटे के भीतर सीधे बीमा कंपनी, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग, सरकारी/जिला पदाधिकारियों को अथवा निशुल्क दूरभाष संख्या के माध्यम से (केंद्रीयकृत समर्पित निशुल्क दूरभाष संख्या दावे की सूचना के लिए, सूचनाओं के निमित्त पीछे से संबंधित बीमा कंपनियों को पुन: भेजी जा सकती है) बीमा कंपनी को दी जाए। सूचना की प्रथम प्रक्रिया केंद्रीयकृत निशुल्क दूरभाष संख्या से होगी और ऐसी सुविधा की अनुपस्थिति में ऐसे विवरण बैंकों अथवा सरकारी पदाधिकारियों को दिए जा सकते है। ऐसी सूचना मिलने पर उसे तत्काल बीमा कंपनी को अग्रेषित/सूचित किया जाए। बैंक बीमा कंपनी को ऐसी सूचना भेजने से पहले बीमाकृत फसल, बीमाकृत धनराशि, खाते से कटौती किए गए प्रीमियम और अंतिम तारीख जैसे ब्योरों का सत्यापन करेगा।

दावा मूलयांकन के लिए अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य

- सभी दावों के भुगतान हेतु सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा गया दावा पत्र इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित होगा तथापि यदि सभी कॉलमों से संबंधित सूचना सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है तो अर्ध भरा गया प्रपत्र बीमा कंपनी को भेज दिया जाए और बाद में नुकसान होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर भरा गया फार्म भेज दिया जाए।
- मोबाइल अनुप्रयोग यदि कोई है, के द्वारा तस्वीरें लेकर फसल नुकसान का साक्ष्य प्रस्तुत करना।
- नुकसान संबंधी घटना और नुकसान की गंभीरता यदि कोई है, को संपुष्ट करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों की खबर की प्रति प्रस्तुत करना।

बीमा कम्पनी द्वारा हानि मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति

स्थानीयकृत जोखिम प्रचालनों(उपज बीमा) के कारण हानियों का मूल्यांकन करने के लिए बीमा कम्पनी द्वारा हानि मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। बीमा कम्पनियों द्वारा हानि मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति आई.आर.डी.ए. प्रावधानों के अनुसार होगी। नियुक्त किए गए हानि मूल्यांकनकर्ताओं के पास निम्नांकित अनुभव और अर्हताएं होनी चाहिए:

I.) फसल बीमा के क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष के अनुभव के साथ किसी भी संकाय में स्नातक (कृषि संकाय में डिप्लोमा/ बीएससी) को वरीयता दी जायेगी|

II.) डिप्लोमा/ बीएससी(कृषि) उपाधि रखने वाले कृषि/बागवानी /विस्तार विभाग के सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी

III.) फसल ऋण अथवा किसान ऋण कार्ड के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त बैंक पदाधिकारी। उपर्युक्त प्रावधानों के तहत अनुपालन किए जाने के प्रयोजनार्थ बीमा कम्पनियां जब और जैसे आवश्यक हो उनकी सेवाओं के उपयोगार्थ उपयुक्त हानि मूल्यांकनकर्ताओं का पैनल बनाएगी।

बीमाकर्ता, ब्लॉक स्तरीय कृषि अधिकारी और संबंधित किसान द्वारा नियुक्त हानि मूल्यांकनकर्ता के एक दल द्वारा संयुक्त रूप से हानि का मूल्यांकन किया जाएगा।

हानि मूल्यांकनकर्ता की समय सीमा और विवरण की प्रस्तुति

- 48 घण्टों के भीतर नुकसान मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति
- अगले 10 दिनों के भीतर हानि मूल्यांकन को पूरा करना
- अगले 15 दिनों में दावा निपटान सम्पादित करना (प्रीमियम की प्राप्ति के अध्याधीन)
- अधिकतम जिम्मेदारी क्षतिग्रस्त फसलकृत क्षेत्र की बीमाकृत समान अनुपाती धनराशि तक सीमित होगी

(घ) शर्तें

i. बीमाकृत जोखिम के होने से पहले प्रीमियम की प्राप्ति/उसे खाते से कटौती किए बिना ऋण के मात्र संवितरण/संस्वीकृति से किसान दावे का पात्र नहीं होगा।

ii. जब प्रभावित क्षेत्र अधिसूचित बीमा इकाई में कुल बीमा क्षेत्र का 25 प्रतिशत हो तो पात्र किसानों की हानि का मूल्यांकन वैयक्तिक रूप से किया जाएगा बशर्ते कि उन्होंने बीमा जोखिम होने से पूर्व प्रीमियम की रकम अदा कर दी हो।

iii. बीमा आच्छादन के तहत भुगतान प्रीमियम सब्सिडी के सरकारी भाग की प्राप्ति के बाद ही बीमा कंपनी द्वारा किया जाएगा।

iv. बीमा कंपनी दावे का भुगतान यदि वह हानि सर्वेक्षण के 30 दिनों के भीतर भुगतान योग्य है, किया जाएगा।

v. यदि मौसम के अंत में उपज आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया दावा इस बीमा दावा से अधिक है तो व्यापक दावों के तहत मौसम के अंत में शेष राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

vi. नामांकित किसान अथवा जिनका प्रीमियम बीमा जोखिम होने के बाद खाते से काटा किया गया है, वे इस बीमा आच्छादन के तहत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे।

vii. बैंक इस खंड के तहत हानि की सूचना की तारीख से 7 दिनों के भीतर किसानों की सूची के साथ किसानों का प्रीमियम, यदि पहले नहीं भेजा गया हैं, तो भेजेंगे।

2. <u>व्याख्या</u>

क) फसल की बीमाकृत राशि =30,000 रूपये

ख) बीमाकृत जोखिम के संचालन के कारण प्रभावित क्षेत्र में मूल्यांकृत हानि =40 प्रतिशत

ग) इस बीमा आच्छादन के तहत भुगतान योग्य दावे =30,000रूपये X 40%=12,000

घ) विवरण कृत मौसम के अंत में उपज में कमी =60%

ङ) बीमा इकाई स्तर पर संबंधित 'क्षेत्र दृष्टिकोण' पर आधारित अनुमानित दावा =30,000रूपये X 60%=18,000 रु०

मौसम के अंत में देय शेष राशि =18,000 रूपये - 12,000 रूपये =6,000 रूपये

XVI. किसानों के लिए दावों का भुगतान किए जाने वाली प्रक्रिया

1. भारत सरकार और संबंधित राज्य/केन्द्र शासित राज्य से अग्रवर्ती प्रीमियम सब्सिडी बीमा कंपनी द्वारा संबंधित मौसम के लिए इस आशय के साथ प्राप्त की जानी चाहिए ताकि वे अपने दावे का निपटान कर सकें।

2. व्यापक आपदा होने की स्थिति में (मौसम के अंत के दावे), एक बार विनिर्धारित अंतिम तारीखों के अनुसार राज्य सरकारों से आंकड़े प्राप्त होने की स्थिति में प्रत्येक अधिसूचित फसल और क्षेत्र की बैंकों/चैनल भागीदारों/बीमा मध्यस्थों से प्राप्त घोषणाओं/प्रस्तावों के अनुसार दावों का निपटान किया जाएगा और दावों को बीमा कंपनी अर्थात कार्यान्वयन अभिकरण से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

3. किसी वित्तीय संस्थान के माध्यम से बीमा आच्छादन प्राप्त किसानों के मामले में दावों को केवल इलेक्ट्रानिक ट्रासंफर के माध्यम से निर्मुक्त किया जायेगा। इसके बाद वैयक्तिक बैंक शाखाओं/नोडल बैंकों को दावों के विवरण सहित हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी और बैंक शाखाएं/पैक्स बीमा कंपनियों से निधियों की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उसे संबंधित किसानों के खातों में डालेगी तथा लाभान्वित किसानों की सूची सहित बीमा कंपनियों को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएगी। बैंक शाखा को नोटिस बोर्ड पर लाभार्थियों के विवरण अभिप्रदर्शित करने के साथ-साथ फसल बीमा पोर्टल पर भी अपलोड करना चाहिए।

4. मध्यस्थों के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर बीमा आच्छादन प्राप्त किसानों के मामले में देय दावों को सीधे बीमाकृत किसानों के संबंधित खातों में डाला जाएगा। इसके साथ-साथ उन्हें दावों से संबंधित ब्योरों से भी अवगत कराया जाएगा। लाभार्थियों की सूची को तत्काल फसल बीमा पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा।

5. बाधित /निष्फल बुआई स्थानीयकृत आपदाओं और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसानों के मामले में बीमा कंपनी मूल्यांकन के बाद दावों का मूल्यांकन करेगी और उपर्युक्त संबंधित खंडों में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार दावों को निर्मुक्त करेगी।

6. बीमा कंपनियां यथासंभव अल्पतम समय में बीमाकृत किसानों और अन्य हितधारकों की शिकायतों का निवारण करेगी।

7. विवादित दावों/निम्नतर दावों, यदि कोई है, को एस.एल.सी.सी.सी.आई./राज्य सरकार के माध्यम से दावे का निपटान करने के 3 माह के भीतर कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ भेजा जाएगा। योजना के उपबंधों की व्याख्या अथवा किसी विवाद के मामले में उनके द्वारा लिया गया निर्णय राज्य सरकार/बीमा कंपनी/संबंधित बैंकों और किसानों के लिए अंतिम होगा।

XVII. जोखिमों की बीमा आच्छादन के लिए लागू महत्वपूर्ण शर्तें/खंड

1 बीमा कंपनियों को बीमा आच्छादन के लिए प्रीमियम संबंधित बैंक, चैनल भागीदार और बीमा मध्यस्थ से सीधा प्राप्त करना चाहिए। इन अभिकरणों द्वारा किए गए संप्रेषण में लापरवाही के कारण नुकसान अथवा इसके द्वारा प्रीमियम न भेजे जाने के कारण होने वाले नुकसान के लिए संबंधित बैंक/मध्यस्थ बीमा भुगतान के लिए जिम्मेदार होंगे।

2 अनिवार्य किसान बीमा के मामले में नोडल बैंक/शाखा द्वारा गलत सूचना दिए जाने पर संबंधित बैंक ऐसे गलत विवरण के प्रति उत्तरदायी होगा।

3 फसल की बिना किसी स्पष्ट आधार के संबंधित बैंक/किसान द्वारा प्रीमियम न दिए जाने के कारण प्रस्तावों/घोषणाओं को प्रस्तुत न करने और मात्र फसल ऋणों से संस्वीकृति/संवितरण प्रक्रिया से बीमा कंपनी द्वारा जोखिम की स्वीकृति प्रतिपादित नहीं होती।

4 <u>रकबा विसंगति :</u>

अतीत में कुछ क्षेत्रों को बुवाई क्षेत्र के सापेक्ष अधिक बीमा आच्छादन का विवरण दिया गया है जिसके कारण अधिक बीमा प्रक्रिया अमल में आई वस्तुत: इस विसंगति का निपटान वास्तविक बीमा आच्छादन के साथ किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषिक्षेत्र स्तर पर ही हो जाना चाहिए था। भू-अभिलेखों, बैंक-अभिलेखों, राजस्व अभिलेखों और बीमाकृत किसानों के प्रस्तावों/ऋण आवेदनों की सहायता से विविधिकरण हेतु दो प्रतियों में से हटाने के लिए संबंधित हितधारकों द्वारा सभी उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए तथापि जी.आई.एस. मंच पर कृषि क्षेत्र अभिलेखों के अंकीकृत न हो पाने की स्थिति में प्रत्येक कृषि क्षेत्र का वास्तविक सत्यापन करना दुष्कर है जबकि विवरणकृत

विसंगतियां बुआईकृत क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत ज्यादा है। फिलहाल इसका निदान निम्नानुसार किया जाएगा :

क) जब कभी रकबा विसंगति होने की कोई संभावना होगी तो बीमा इकाई स्तर पर **बीमाकृत क्षेत्र की तुलना पिछले 3 वर्षों के औसत रोपित क्षेत्र से की जाएगी और राजस्व प्राधिकार से संबंधित बुआईकृत क्षेत्र आंकड़ों को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित भिन्नता को अतिरिक्त बीमा आच्छादन माना जाएगा।**

ख) फसल की बीमाकृत राशि को आनुपातिक रूप से 3 वर्षों के वास्तविक बुवाई क्षेत्र और बीमित क्षेत्र के औसत अनुपात के आधार पर घटाया जाता है।

ग) दावों का संगणन घटाई गयी बीमाकृत राशि के आधार पर किया जाएगा।

घ) प्रीमियम (किसान का हिस्सा तथा केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी) को घटाई गयी बीमाकृत राशि के समानुपात में भारत सरकार को वापिस कर दिया जाएगा और धनराशि का प्रयोग प्रौद्योगिकी/अनुसंधान/प्रभाव आकलन आदि के प्रयोजनार्थ किया जाएगा।

वैयक्तिक कृषि क्षेत्र (भूखंड/सर्वेक्षण नंबर) अंकीकृत और जी.आई.एस. मंच पर उपलब्ध होने की स्थिति में फसल को अभिचिन्हित करने और प्रत्येक फसल पर फसलकृत क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए जी.आई.एस. पर कृत्रिम उपग्रह चित्र का अभीष्ट प्रयोग करके फसल को बीमा आच्छादन दिया जा सकता है। इस वैयक्तिक कृषि क्षेत्र स्तर पर रकबा विसंगति अभिचिन्हित होगी।

XVIII. <u>प्रचार और जागरूकता</u>

1 अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों से संबंधित सभी गांवों में व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने कीआवश्यकता है। किसानों और योजना का कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों के बीच इससे संबंधित लाभों और प्रावधानों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके इसे प्रचारित-प्रसारित करने के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रानिक और मुद्रण मीडिया के सभी संभाव्य संसाधन, किसान मेलों, प्रदर्शनियों, एसएमएस, लघु फिल्मों और डाक्यूमेंट्री फिल्मों का उपयोग किया जाएगा। राज्य के कृषि/सहकारिता विभाग बीमा कंपनियों के परामर्श से बीमा आच्छादन अवधि शुरू होने से 3 माह पहले पर्याप्त जागरूकता और प्रचार-प्रसार के प्रयोजनार्थ समुचित योजना बनाएंगे। सभी प्रकाशित सूचना सामग्री बीमा आच्छादन /

फ्रीक्वेंसी/आवधिक तारीख आदि सहित फसल बीमा पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड की जाएँगी।

2 राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य सरकार बीमा कंपनियों के सहयोग से योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में लगे संबद्ध एजेंटों, बैंकों आदि के क्षमता निर्माण के लिए योजना भी बनाएंगी। वे उनके लिए प्रतिभागी बीमा कंपनियों के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यशालाओं/संवेदीकरण कार्यक्रम भी संचालित करेंगी।

XIX. <u>कमीशन और बैंक प्रभार</u>

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आदि को किसानों से एकत्रित प्रीमियम के 4 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार अदा किया जाएगा। किसानों को बीमा संबंधी सेवाएं देने वाले ग्रामीण एजेंटों को आई.आर.डी.ए. विनियमों के अंतर्गत विनियत सीमा के अध्याधीन बीमा कंपनी द्वारा यथा निर्धारित उचित कमीशन भी दिया जाए।

XX. <u>सेवा कर</u>

पी.एम.एफ.बी.वाई.,एन.ए.आई.एस./एम्.एन.ए.आई.एस. की एक प्रतिस्थापन योजना है, अत: इसको सेवा कर से छूट प्राप्त है।

XXI. <u>योजना की समीक्षा</u>

राज्य सरकारें/केन्द्र शासित राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि फसल बीमा उत्पादों के द्वारा किसानों को मजबूत बीमा सिद्धांतों के आधार पर व्यापक बीमा आच्छादन प्राप्त होने के साथ-साथ उन्हें उनके प्रीमियम का बेहतर मूल्य प्राप्त हो। राज्य सरकार को भी योजना से संबंधित सावधिक रूप से समीक्षा करने के साथ-साथ प्रत्येक मौसम के पूर्ण होने के बाद उसके प्रभाव का मूल्यांकन करके योजना में ओर सुधार करने के प्रयोजनार्थ इस विभाग को अपने सुझावों/सिफारिशों को संप्रेषित कर सकती है।

XXII. <u>योजना का निगरानी</u>

1 संबंधित राज्य में फसल बीमा राज्य स्तर समन्वयन समिति (एस.एल.सी.सी.सी.आई.) संबंधित राज्यों में योजनाओं/कार्यक्रमों का निगरानी करने की जिम्मेदार होगी तथापि, संयुक्त सचिव (ऋण) कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एक

राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति (एन.एल.एम.सी.) राष्ट्रीय स्तर पर योजना का निगरानी करेगी।

2 किसानों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक फसल मौसम के दौरान प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित अनुवीक्षण/ निगरानी उपाय किए जाने का प्रस्ताव है :-

क) नोडल बैंक/मध्यस्थो और समायोजन के प्रयोजनार्थ संबंधित शाखा से सॉफ्ट कापी में नाम, पिता का नाम, बैंक खाता सं0, ग्राम, श्रेणी -छोटा और सीमांत /अ.जा. /अ.ज.जा. / महिला, बीमाकृत क्षेत्र, बीमाकृत फसल, बीमाकृत धनराशि, संगृहित प्रीमियम, सरकारी सब्सिडी आदि जैसे अपेक्षित ब्योरों सहित वैयक्तिक बीमाकृत किसानों (ऋणी प्राप्त, गैर ऋणी) की सूची एकत्र करके उसे अंतिम तारीख के बाद 15 दिनों के भीतर किसानों की घोषणाओं सहित संबंधित बीमा कंपनी को भेज सकते हैं। एकीकृत ई-मंच निर्धारित होने पर इसे ऑनलाइन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अंतिम फसल कटाई की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को फसल कटाई प्रयोग पर आधारित उपज आंकड़े उपलब्ध कराए जाएंगे।

ख) संबंधित बीमा कंपनियों से दावों की राशि प्राप्त होने के बाद वित्तीय संस्थाएं/बैंक एक सप्ताह के भीतर लाभार्थी किसानों के खाते में दावे की राशि संप्रेषित/स्थानांतरित करके उसे लाभार्थियों से संबंधित ब्योरों अर्थात किसान/लाभार्थी का नाम, बीमाकृत फसलें, बीमाकृत धनराशि और प्राप्त दावों आदि सहित 7 दिन के भीतर शाखा के नोटिस बोर्ड पर लाभार्थियों की सूची भी (ऋणी और गैर ऋणी दोनों) अभिप्रदर्शित करेंगे। वे आगे सत्यापन और लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ 15 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाणपत्र सहित संबंधित बीमा कंपनियों को उसकी एक प्रति भेजेंगे। एकीकृत मंच के क्रियाशील होने पर इसे बीमा कंपनी द्वारा सीधे किसानों के खाते में आनलाइन स्थानांतरित किया जाएगा।

ग) लाभार्थियों की सूची (बैंकवार और बीमाकृत क्षेत्रवार) यथोचित प्रावधानों और सार्वजनिक शिकायत निदान/प्रतिक्रिया आदि कार्य तंत्र के साथ संबंधित बीमा कंपनियों के फसल बीमा पोर्टल और वेबसाइट पर भी अपलोड की जा सकती है।

घ) फसल बीमा से संबंधित राज्य सरकार/राज्य स्तर समन्वयन समिति (एस.एल.सी.सी.सी.आई.) तथा संबंधित राज्य स्तर निगरानी समिति (डी.एल.एम.सी.) को

प्रतिक्रिया भेजने वाली बीमा कंपनियों के क्षेत्रीय कार्यालयों/स्थानीय स्तर के कार्यालयों द्वारा लाभार्थियों की लगभग 5 प्रतिशत तादाद को सत्यापित किया जाए।

ङ) बीमा कंपनी द्वारा सत्यापित कम से कम 10 प्रतिशत लाभार्थियों को संबंधित जिला स्तर निगरानी समिति(डी.एल.एम.सी.) द्वारा सह-सत्यापित किया जाए और संबंधित प्रतिक्रिया राज्य सरकार को भेजी जाए।

च) लाभार्थियों में से 1-2 प्रतिशत का सत्यापन बीमा कंपनी के मुख्यालय/केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र अभिकरणों/राष्ट्रीय स्तर निगरानी समिति द्वारा किया जाए और उसे आवश्यक प्रतिक्रिया के साथ केंद्र सरकार को भेजा जाए।

XXIII. योजना के कार्यान्वयन में बीमा कंपनियों की सहभागिता

पैनलीकरण अर्हता

1. कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की ए.आई.सी. और निजी क्षेत्र की जेनरल इंश्योरेंस कम्पनियाँ और उन्हीं में से संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा चयनित होने वाली कम्पनियाँ ही पी.एम.एफ.बी.वाई. का कार्यान्वयन करेंगी। मुख्यता कृषि/ ग्रामीण बीमा कार्य में व्यस्त और पर्याप्त अनुभव, अवसंरचना, वित्तीय आधार और प्रचलनात्मक सामर्थ वाली बीमा कंपनियों को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। **कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पैनलबद्ध होने वाली बीमा कंपनी को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की योजना/कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के चयन हेतु बोली देने के प्रयोजनार्थ पूर्व अर्हता प्राप्त कंपनी के रूप में माना जायेगा।**

कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में बीमा कंपनियों का चयन मापदंड:

2. कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ विनियत/ पैनलकृत बीमा कंपनियों में से बीमा कंपनी का चयन संबंधित राज्य में योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य/संघ शासित राज्य द्वारा किया जाएगा। कार्यान्वयन अभिकरण का चयन आगामी पैरों में विवेचित कलस्टर दृष्टिकोण को अपनाकर किया जाएगा। छोटे राज्यों के मामले में संपूर्ण राज्यों को केवल एक कार्यान्वयन अभिकरण को सौपा जा सकता है।

3. फसल मौसम शुरू होने से पहले, **राज्य सरकार जिलावार एवं फसलवार बीमा प्रीमियम दरों (वित्तीय बोली) को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ खुली निविदा के माध्यम से आगामी पैरे में यथा उल्लिखित पूर्व अर्हता प्राप्त कंपनियो को आमंत्रित करेगी ।** मौसम के दौरान सभी बीमा कंपनियों के लिए क्षतिपूर्ति स्तर, थ्रेशहोल्ड उपज, बीमाकृत धनराशि आदि एक समान होंगी। बोली में शामिल होने वाली विनियत/ पैनलकृत कंपनियों को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित / अधिसूचित की जाने वाली सभी फसलों के लिए प्रीमियम दरों की बोली देनी होगी। इसका अनुपालन न किए जाने की स्थिति में <u>बोली को निरस्त</u> कर दिया जाएगा।

4. पूर्व अर्हता प्राप्त कंपनियों द्वारा उद्दत जिलावार और फसलवार बीमांकिक प्रीमियम दरों को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण प्रीमियम राशि और जिला समूह (विशेषत: 15-20 जिले) पर भारित औसत प्रीमियम दरों को एल-1 पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ निदानकृत किए जाएगा। एल-2 बोलीदाताओं का चयन संबंधित समूह में कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में किया जाएगा।

5. कार्यान्वयन अभिकरण का चयन 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जा सकता है तथापि, राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य सरकार और संबंधित बीमा कंपनी प्रासंगिक होने की स्थिति में संबंधित नियमों और विनियमों पर पुन: चर्चा कर सकते हैं। इससे बीमा कंपनी को पेय जल/स्वास्थ्य सेवा /शिक्षा सुविधाओं के सृजन, कृषिक्षेत्र लेवलिंग, दावा रहित बोनस, मौसम पूर्वानुमान, आम सेवा केन्द्र आदि जैसे किसान संबंधी सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिए विभिन्न कल्याणकारी प्रयोजनों में प्रीमियम की बचत राशि का निवेश करके किसानों के बीच विश्वसनीयता कायम करने में सहायता मिलेगी। इस अनुक्रम में यह भी प्रत्याशित है कि दीर्घकालिक अनवरतता से बीमा कंपनियों, बैंकों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को समर्थनकारी एवं सहयोगकारी परस्पर लाभों, व्यापार संबंधों और सेवा प्रभावशीलता का सुअवसर प्राप्त होता है।

6. किसानों की संख्या और हैक्टेयर क्षेत्र के संबंध में बीमा आच्छादन कम से कम पूर्व मौसम के स्तर पर होना चाहिए अन्यथा बीमा कंपनी को राज्य में अगली बोली के लिए निष्कासित माना जाएगा।

7. राज्य सरकार ये सुनिश्चित करें कि केवल एक ही बीमा कंपनी सभी किसानों के लिए प्रत्येक जिला अथवा अधिसूचित क्षेत्र में क्रियाशील हो।

8. राज्य द्वारा बोली के लिए जिलों का समूहकरण/ संगठन

जोखिम के विविधिकरण/प्रसार और उच्च जोखिम/निम्न जोखिम उन्मुखी जिलों/क्षेत्रों को समान रूप से बीमा आच्छादन देने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार राज्यों का समूहकरण इस ढंग से करेगी कि प्रत्येक समूह में विभिन्न जोखिम कारकों सहित विभिन्न जिलों का समावेश हो। बोली आमंत्रित किए जाने से पूर्व राज्य सरकार राज्य का बंटवारा इस प्रकार से करेगी कि विशेषत: प्रत्येक 15-20 जिलों के समूहों का आविर्भाव हो। समूहकरण/ संयोजन प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे:

क) राज्य संम्मिश्रित कृषि-जलवायु अंचलों के आधार पर जिला समूह बना सकते हैं।

ख) बोली आमंत्रण से पूर्व, समूह गठन से संबंधित ब्योरों को बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा

निम्नांकित उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ जिलों का समूहकरण/ संयोजन किया जाएगा

क) समूह गठन 3 वर्षों के लिए लागू हो सकता है और समूहों का गठन अधिकतम 15- 20 जिलों के लिए किया जा सकता है|

ख) विभिन्न समूहों को जिले के जोखिम संबंधी ब्योरों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है ताकि समूह के भीतर जोखिम विविधता में वृद्धि करके बीमाकर्ता के लिए संबंधित जोखिम प्रसार किया जा सके।

ग) समूह में मिश्रित कृषि जलवायु अंचल वाले जिले हो सकते हैं ताकि समूह के भीतर जोखिम संबंधी विविधता बढ़ाई जा सके।

घ) फसलवार संबंधित जोखिम को समूह के बीच विविधीकृत भी किया जाए और समूह के भीतर संकेद्रण न की जाए।

9. जिलों के सामूहिकरण/संयोजन और एल1 बोली दाता के विनिर्धारण से संबंधित विभिन्न पद्धतियों का इस्तेमाल करने की दो उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ये केवल राज्यों के मार्गदर्शन के लिए हैं तथा राज्य इनमें से किसी का भी अनुसरण करने अथवा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को सूचित करते हुए उनके द्वारा बताई गई किसी भी अन्य पद्धति का इस्तेमाल करने के लिए मुक्त हैं।

पद्धति 1

जोखिम स्तर की परिभाषा

i पिछले 10 वर्षों के उपज आंकड़ों के आधार पर जिला 1, अधिसूचित क्षेत्र1 (एन.एफ.ए.) और फसल 1 के लिए दिए गए उदाहरण के साथ प्रत्येक जिले के लिए हानि लागत की संगणना करें।

क) योजना में यथा परिभाषित परिसीमा उपज की संगणना करें।

ख) प्रत्येक वर्ष के लिए हानि लागत की संगणना करें।

हानि लागत (%)= अधिकतम (परिसीमा उपज - वास्तविक उपज)
0, ---------------------------
परिसीमा उपज

ग) औसत हानि लागत की संगणना करें : पिछले 10 वर्षों की औसत हानि लागत

वर्ष	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**औसत**	**कुल उपज (किग्रा/है0)**
उपज	2877	2558	1800	2097	2503	1500	2855	2734	1200	2987	2311	**2041**
हानि लागत (%)	0%	0%	12%	0%	0%	27%	0%	0%	41%	0%	8.0%	

जिले का नाम	एन.एफ.ए. नाम	फसल	बीमाकृत अनुमानित क्षेत्र (है0 में)	बीमाकृत राशि (रु./है0)	वजन (ई.एस.आई. रु. में)	औसत लागत हानि	भारित औसत लागत हानि
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ड.**	**च=घ*ड.**	**ड.**	**च=घ*ड.**
जिला 1	एन.एफ.ए.1	फसल1	400	10000	4000000	8%	320000
जिला 1	एन.एफ.ए.1	फसल2	300	4000	1200000	10%	120000
जिला 1	एन.एफ.ए.2	फसल1	200	10000	2000000	6%	120000
जिला 1	एन.एफ.ए.2	फसल2	150	4000	600000	5%	30000
जिला 1	एन.एफ.ए.3	फसल1	125	10000	1250000	10%	125000
जिला 1	एन.एफ.ए.3	फसल2	250	4000	1000000	7%	70000
कुल					**10050000**		**785000**

जिला 1 की लागत हानि (%)	= 785000 / 10050000	7.80%

घ जिलों को उनकी हानि लागत (%) के अनुसार सूचीबद्ध

क्र.सं.	जिले का नाम	जिला लागत हानि
1	जिला 1	7.80%
2	जिला 2	8.60%
3	जिला 3	5.40%
4	जिला 4	3.20%
5	जिला 5	4.60%

ii जिले के भीतर सभी जिलों में हानि लागत श्रृंखला का प्रयोग करते हुए संपूर्ण राज्य की हानि लागत मूल्यों के 1/3 और 2/3 प्रतिशतता की संगणना करें| जोखिम स्तर को निम्नलिखित प्रतिशतता के अनुसार परिभाषित करें:

जोखिम स्तर	**प्रतिशतता**
कम	जिलो की हानि लागत < 1/3 मूल्य प्रतिशतता
मध्यम	जिलो की हानि लागत >= 1/3 और < 2/3 मूल्य प्रतिशतता
उच्च	जिलो की हानि लागत >= 2/3 मूल्य प्रतिशतता

1/3 मूल्य प्रतिशतता	4.87%	= प्रतिशतता (जिलो की हानि लागत ,1/3)
2/3 मूल्य प्रतिशतता	7.01%	= प्रतिशतता (जिलो की हानि लागत ,2/3)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**लागत हानि**	**जोखिम स्तर**
1	जिला 1	7.80%	उच्च जोखिम
2	जिला 2	8.60%	उच्च जोखिम
3	जिला 3	5.40%	मध्यम जोखिम
4	जिला 4	3.20%	कम जोखिम
5	जिला 5	4.60%	कम जोखिम

बीमा आच्छादन स्तर को परिभाषा

i. **बीमाकृत क्षेत्र का आकलन (है0 में)** : आगामी मौसम से संबंधित बीमाकृत क्षेत्र का आकलन निष्पक्ष निर्णय के अनुसार राज्य में स्थित जिलों के पूर्व वर्षों के परिप्रेक्ष्य के आधार पर किया जायेगा| राज्य सरकार प्रत्येक जिला फसल संयोजन के लिए आगामी मौसम हेतू बीमाकृत परियोजना को प्रक्षेपित करेगी|

उदहारण दो फसलों के साथ जिले1 का आकलन किया जाएगा

जिले का नाम	**फसल**	**वर्तमान में उपलब्ध बुआई क्षेत्र (है0)**	**पिछले सामान्य वर्ष में बीमाकृत क्षेत्र (है0)**	**मौजूदा पैठ (%)**	**लक्षित पैठ (%)***	**अनुमानित बीमाकृत क्षेत्र (है0)**
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ड. = घ/ग**	**च**	**छ = ग * च**
जिला 1	फसल1	2900	300	10%	25%	725
जिला 1	फसल2	1400	490	35%	50%	700

* लक्षित पैठ प्रतिशतता का निर्धारण जिले की संबद्ध संभावना और अन्य प्रासंगिक मानदंडों के अनुसार किया जा सकता है।

ii. प्रत्येक जिला फसल संयोजन के लिए अपेक्षित बीमाकृत राशि का निर्धारण बीमाकृत राशि (रु./है0) के साथ मौजूदा मौसम वर्ष के लिए बीमाकृत अनुमानित क्षेत्र को गुणित करके किया जाएगा। जिला स्तरीय कुल अपेक्षित बीमाकृत राशि जिले के भीतर प्रत्येक जिला फसल संयोजन के निहितार्थ अपेक्षित बीमाकृत राशि का जोड़ होगी।

जिला1 के लिए उदाहरण :

जिले का नाम	**फसल**	**अनुमानित बीमाकृत क्षेत्र (है0)**	**बीमाकृत राशि (रु./है0)**	**अपेक्षित बीमाकृत राशि (रु. में)**
क	**ख**	**ग**	**घ**	**ङ. = ग * घ**
जिला 1	फसल1	725	10000	7250000
जिला 1	फसल 2	700	4000	2800000
			जिला 1 अपेक्षित बीमाकृत राशि (रु. में)	**10050000**

iii. इसी तरीके से सभी जिलों के लिए अपेक्षित बीमाकृत राशि (ई.एस.आई.) की संगणना रु. में करें।

iv. राज्य के भीतर संपूर्ण जिले के लिए अपेक्षित बीमाकृत राशि (ई.एस.आई.) के 1/3 और 2/3 प्रतिशतता मूल्यों की संगणना करें। बीमा आच्छादन स्तर को निम्नांकित प्रतिशतता मूल्यों के अनुसार परिभाषित करें:

आच्छादन स्तर	**प्रतिशतता**
कम	जिले की ई.एस.आई. < 1/3 मूल्य प्रतिशतता
मध्यम	जिले की ई.एस.आई. >= 1/3 and < 2/3 मूल्य

	प्रतिशतता
उच्च	जिले की ई.एस.आई. >= 2/3 मूल्य प्रतिशतता

1/3 मूल्य प्रतिशतता	3500000	= प्रतिशतता (जिले की ई.एस.आई. ,1/3)
2/3 मूल्य प्रतिशतता	8833333	= प्रतिशतता (जिले की ई.एस.आई. ,2/3)

जिले का नाम	**अपेक्षित बीमाकृत राशि (रु. में)**	**आच्छादन स्तर**
जिला 1	10050000	उच्च
जिला 2	9000000	उच्च
जिला 3	8500000	मध्यम
जिला 4	1000000	कम
जिला 5	700000	कम

जिलों के लिए श्रेणीगत जोखिम स्तर का आवंटन

i. निम्नांकित सारणी के अनुसार विभिन्न जोखिम संयोजना का संकेतीकरण :

जोखिम स्तर	आच्छादन स्तर	कूट संख्या
उच्च जोखिम	उच्च आच्छादन	1
मध्यम जोखिम	उच्च आच्छादन	2
कम जोखिम	उच्च आच्छादन	3
उच्च जोखिम	मध्यम आच्छादन	4
मध्यम जोखिम	मध्यम आच्छादन	5
कम जोखिम	मध्यम आच्छादन	6
उच्च जोखिम	कम आच्छादन	7
मध्यम जोखिम	कम आच्छादन	8
कम जोखिम	कम आच्छादन	9

ii. विभिन्न जिलों को कूट संख्या का आबंटन :

क) जिलों को किसी भी क्रम में व्यवस्थित करें

ख) प्रत्येक जिले के लिए जोखिम स्तर और बीमा आच्छादन स्तर को लिखें

ग) उपयुक्त कूट सारणी के आधार पर प्रत्येक जिले को कूट संख्या का आबंटन करें।

घ) आबंटित कूट संख्या के आरोही क्रम में जिलों की व्यवस्था करें।

ङ) उसी कूट संख्या के भीतर प्रत्येक जिले के सामने ई.एस.आई. लिखें और जिले के ई.एस.आई. को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें।

उदहारण :

जिले का नाम	**अपेक्षित बीमाकृत राशि (रु. में)**	**जोखिम स्तर**	**आच्छादन स्तर**	**कोड**
जिला 1	10050000	उच्च जोखिम	उच्च	1
जिला 2	9000000	उच्च जोखिम	उच्च	1
जिला 3	8500000	मध्यम जोखिम	मध्यम	5
जिला 4	1000000	कम जोखिम	कम	9
जिला 5	700000	कम जोखिम	कम	9

समूह 1		**समूह 2**		**समूह 3**	
जिले का नाम	**ई.एस.आई. (रु. में)**	**जिले का नाम**	**ई.एस.आई. (रु. में)**	**जिले का नाम**	**ई.एस.आई. (रु. में)**
जिला1	10050000	जिला 2	9000000	जिला 3	8500000
		जिला 5	700000	जिला 4	1000000
	10050000		**9700000**		**9500000**

जिलों का समूहीकरण :

i. बनाए जाने वाले समूहों का निर्धारण करें (अर्थात 3)

ii. ई.एस.आई. और कूट संख्या के साथ जिलों की उपर्युक्त व्यवस्थित सूची से निम्नांकित ढंग से जिलों को वितरित करें :

क) इस कूट संख्या वाले पहले जिले को पहले समूह में, दूसरे जिलें को दूसरे समूह में और तीसरे जिले को तीसरे समूह में रखा जाएगा। इसी प्रकार अन्य जोखिम कूट संख्या को व्यवस्थित किया जाएगा।

ख) एक बार समान कूट संख्या वाले प्रथम 3 जिलों के साथ सभी समूहों के भरे जाने पर, उसी कूट संख्या वाले अगले जिलों को समूह के बीच इस प्रकार आवंटित किया जाए जिससे ई.एस.आई. का अधिकतम प्राप्त हो जाए।

ग) अन्य कूट संख्या के मामले में, वितरण प्रक्रिया को ई.एस.आई. का शेष प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ किया जाए।

iii. समूहीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ समूह को जिलों में वितरित करने संबंधी प्रक्रिया के दौरान कुछ अल्प परिवर्तन किए जा सकते है।

जिलों के समूहीकरण/संयोजन के लिए लागू शर्तें :

i. समूह के भीतर बीमा कंपनी को अपनी बोलियों का मूल्यांकित कराए जाने के लिए सभी जिला फसल संयोजनों के लिए प्रीमियम दरें देनी होंगी।

ii. समूह के भीतर कुल जिला फसल संयोजनों में से केवल एक की भी बोली न देने पर बीमा कंपनी बोली अवधि के लिए अपात्र हो जाएगी।

iii. किसी जिला फसल संयोजन के लिए किसी अन्य बोली दाता के द्वारा दी गयी निम्नवत दरों को स्वीकार करने के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम बोली दाता के साथ आगे कोई वार्ता नहीं होगी अर्थात विभिन्न जिला फसल संयोजन के लिए न्यूनतम बोली दाता द्वारा दी गयी दरें ही समूह के भीतर लागू होंगी।

iv. किसी कंपनी द्वारा न्यूनतम बोली दाता घोषित होने के बाद इंकार किए जाने पर, कंपनी को आगामी अवधि के लिए निषिद्ध किया जा सकता है और दूसरे न्यूनतम बोली दाता को एल -1 जिला फसल संयोजन दर पर फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करने के लिए समूह दिया जा सकता है। इसी प्रकार बीमा कंपनी की सहमति के अनुसार तीसरा न्यूनतम और चौथा न्यूनतम बोली दाता आगे आएंगे।

कार्यान्वयन अभिकरण का चयन :

उदहारण :

समूह 1 - L1 संगणना								
समूह 1 के भीतर जिले का नाम	**फसल का नाम**	**ई.एस.आई.**	**कंपनियों द्वारा दी गयी प्रीमियम (रु. में)**			**अपेक्षित प्रीमियम (रु. में)**		
क	ख	ग	एक्स	वाई	जैड	एक्स	वाई	जैड
		घ	ङ.	च	छ = ग * घ	ज = ग * ङ.	झ = ग * च	
जिला 1	फसल 1	7250000	5.00%	4.95%	5.01%	362500	358875	363225
जिला 1	फसल 2	2800000	2.95%	3.85%	2.90%	82600	107800	81200
कुल समूह 1		**10050000**				**445100**	**466675**	**444425**

कंपनियों के लिए भारित प्रीमियम दर (%)		
एक्स	**वाई**	**जैड**
= 445100 / 10050000	= 466675 / 10050000	= 444425/ 10050000
4.43%	**4.64%**	**4.42%**

समूह1 में एल1 कंपनी (जैड) है। ऐसी ही प्रक्रिया अन्य समूहों के लिए अपनाई जाएगी।

पद्धति 2

क्षेत्र/जिलें में कृषिगत उत्पादन उस क्षेत्र/जिले की कृषि जलवायु परिस्थितयों द्वारा प्रभावित होती है। पिछले 10 वर्षो के दौरान प्रत्येक जिले में कृषि उत्पादन (फसल) विविधता के आधार पर जिलों को निम्न, मध्यम और उच्च कृषि जोखिम वाली 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। यदि पिछले 10 वर्षो के दौरान जिले में कृषिगत उत्पादन विविधता +/- <15% आती है तो जिले को निम्न जोखिम श्रेणी में रखा जाए। इसी प्रकार +/- 16-30% विविधता वाले जिलों को मध्यम जोखिम और +/- >30% को कृषि प्रचालनों के लिए उच्च जोखिम श्रेणी में रखा जाए। तदनुसार राज्य के सभी जिलों को निम्न/मध्यम और उच्च जोखिम जिलों के रूप में अभिचिन्हित किया जाएगा। बनाए जाने वाले समूह की संख्या का निर्धारण राज्य में जिलों की कुल संख्या के अनुसार किया जाएगा। निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाले जिलों की प्रत्येक श्रेणी से संबंधित कुल संख्या को राज्य में बनाए जाने वाले समूहों की संख्या से भाग दिया जाएगा। तदुपरांत, निम्न जोखिम वाले जिलों की संख्या का चयन जिले के प्रत्येक समूह से क्रम रहित आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार मध्यम और उच्च जोखिम वाले जिलों का चयन किया जाएगा।

<u>उदाहरण :</u>

राज्य– उत्तर प्रदेश, जिलों की संख्या – 75

उत्पादन में पिछले 10 वर्षो की विविधता को दृष्टिगत रखते हुए अभिचिन्हित जिलों की श्रेणीवार संख्या :

निम्न जोखिम 40, माध्यम जोखिम 20, उच्च जोखिम 15,

बनाए जाने वाले समूहों (अधिकतम प्रत्येक 15-20 जिले का समूह) की संख्या : 75/19 = 3.95 अर्थात 4

प्रत्येक समूह में निम्न जोखिम जिलों की संख्या : 40/4 = 10

इसी प्रकार मध्यम जोखिम जिले : 20/4 = 5

और उच्च जोखिम जिले : 15/4 = 3.75 अर्थात 4

तदनुरूप,

समूह	समूहों का निर्माण			समूह में कुल जिले
	कम जोखिम वाले जिलों की सं0	मध्यम जोखिम वाले जिलों की सं0	उच्च जोखिम वाले जिलों की सं0	
ग 1	10	5	4	19
ग 2	10	5	4	19
ग 3	10	5	4	19
ग 4	10	5	3	18

न्यूनतम निकालने के लिए नमूना संगणना :

सारणी - 1: किसी जिला समूह में कंपनी के भारित औसत प्रीमियम की संगणना :

जिला :डी 1 कंपनी –X

समूह जिले में अधिसूचित फसलें	बीमाकृत होने वाले अपेक्षित क्षेत्र (है0 में)	प्रति है0 अधिसूचित बीमित राशि (रु. में)	कुल बीमित राशि (लाख रु. में)	कंपनी 'x' द्वारा दी गयी प्रीमियम दर	प्रीमियम की राशि (लाख रु. में) (बीमित राशि का %)
धान	10000	30000	3000	5	150
मक्का	6000	20000	1200	10	120
कपास	8000	35000	2800	12	336
अरहर	9000	50000	4500	15	675

मूंगफली	5000	40000	2000	13	260
उपरोक्त सभी फसलें	38000		13500		1541

<u>जिला : डी1 कंपनी –वाई</u>

समूह जिले में अधिसूचित फसलें	बीमाकृत होने वाले अपेक्षित क्षेत्र (है0 में)	प्रति है0 अधिसूचित बीमित राशि (रु. में)	कुल बीमित राशि (लाख रु. में)	कंपनी 'Y' द्वारा दी गयी प्रीमियम दर (का %)	प्रीमियम की राशि (लाख रु. में)
धान	10000	30000	3000	6	180
मक्का	6000	20000	1200	8	96
कपास	8000	35000	2800	10	280
अरहर	9000	50000	4500	14	630
मूंगफली	5000	40000	2000	13	260
उपरोक्त सभी फसलें	38000		13500		1446

<u>जिला : डी 1 कंपनी –जैड</u>

समूह जिले में अधिसूचित फसलें	बीमित होने वाले अपेक्षित क्षेत्र (है0 में)	प्रति है0 अधिसूचित बीमित राशि (रु. में)	कुल बीमित राशि (लाख रु. में)	कंपनी 'Z' द्वारा दी गयी प्रीमियम दर (बीमित राशि का %)	प्रीमियम की राशि (लाख रु. में)
धान	10000	30000	3000	7	210
मक्का	6000	20000	1200	9	108
कपास	8000	35000	2800	11	308
अरहर	9000	50000	4500	15	675
मूंगफली	5000	40000	2000	14	280
उपरोक्त सभी फसलें	38000		13500		1581

इसी प्रकार अन्य जिलों (डी2, डी3, डी4 और डी5) और कंपनियों के लिए

सारणी-2: किसी जिला समूह में कंपनी के भारित औसत प्रीमियम की संगणना

कंपनी 'X' के लिए

जिला समूह	बीमाकृत होने वाले अपेक्षित क्षेत्र (है0 में)	कुल बीमित राशि (लाख रु. में)	प्रीमियम राशि (लाख रु. में)	कंपनी 'X' का भारित औसत प्रीमियम (बीमित राशि का %)
जिला डी 1	38000	13500	1541	
जिला डी 2	40000	14000	1600	
जिला डी 3	35000	13000	1400	
जिला डी 4	45000	15000	1650	
जिला डी 5	30000	12750	1350	
उपरोक्त सभी जिले	188000	68250	7541	11.05

कंपनी 'Y''के लिए :

जिला समूह	बीमित होने वाले अपेक्षित क्षेत्र (है0 में)	कुल बीमित राशि (लाख रु. में)	प्रीमियम राशि (लाख रु. में)	कंपनी 'Y' का भारित औसत प्रीमियम (बीमित राशि का %)
जिला डी1	38000	13500	1446	

जिला डी2	40000	14000	1500	
जिला डी3	35000	13000	1425	
जिला डी4	45000	15000	1675	
जिला डी5	30000	12750	1400	
उपरोक्त सभी जिले	188000	68250	7446	10.91

कंपनी 'Z'के लिए :

जिला समूह	बीमित होने वाले अपेक्षित क्षेत्र (है0 में)	कुल बीमित राशि (लाख रु. में)	प्रीमियम राशि (लाख रु. में)	कंपनी 'Z' का भारित औसत प्रीमियम (बीमित राशि का %)
जिला डी1	38000	13500	1581	
जिला डी2	40000	14000	1550	
जिला डी3	35000	13000	1475	
जिला डी4	45000	15000	1600	
जिला डी5	30000	12750	1275	
उपरोक्त सभी जिले	188000	68250	7481	10.96

समूह में न्यूनतम भारित औसत प्रीमियम वाली कंपनी को न्यूनतम बोलीदाता के रूप में चुना जाएगा। इसलिए कंपनी वाई 5 जिलों के समूह में न्यूनतम बोलीदाता के लिए योग्य होगी।

इसी प्रकार अन्य समूहों और कंपनियों के लिए व्यवस्था होगी।

10. <u>कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन और बीमा कंपनियों का गैर-पैनलकरण</u>

किसानों को लागत प्रभावी बेहतर बीमा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कंपनी के कौशल और महारत को सुनिश्चित करते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 3 वर्षों के अन्तराल पर पैनलबद्ध बीमा कंपनियों के कार्य निष्पादन का निकट निगरानी किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, कंपनी से संबंधित जोखिम जोखिम अंकन, बीमा आच्छादन संवृद्धि राजस्व संबंधी कौशल और क्षमता, भुगतान दावे के निपटान से संबंधित कार्रवाई के आधार पर 4 संकेतकों को बनाया गया। इन संकेतकों का भार एक समान है और ये हैं (i) आवंटित जिलों/क्षेत्रों में कुल फसलकृत बीमित वास्तविक क्षेत्र की प्रतिशतता (ii) कुल बीमाकृत क्षेत्र की गैर ऋणी किसानों के बीमाकृत क्षेत्रों की प्रतिशतता (iii) निर्धारित समय के भीतर कुल स्वीकार्य दावों के लिए अदा की गई राशि की प्रतिशतता (iv) कुल बीमाकृत जोखिम के लिए बीमाकृत जोखिम की स्वमेव प्रतिधारण की प्रतिशतता इंगित करते हैं। उपर्युक्त संकेतकों की प्रतिशतता अभिव्यक्ति पिछले 3 वर्षों (6 फसल मौसमों) (तत्काल आगामी मौसम के अलावा) राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी द्वारा किए गए व्यापार निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए की जाएगी। यदि कुल निष्पादन बिंदुओं से संबंधित निष्कर्ष कुल 400 के सापेक्ष 180 अर्थात 45 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उक्त बीमा कंपनी को पैनल से निकाला जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

XXIV. <u>विभिन्न अभिकरणों की भूमिका और दायित्व</u>

योजना के सफल कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए विभिन्न अभिकरणों /संस्थाओं/सरकारी विभागों/समितियों की भूमिका निम्नवत निर्धारित की गई है :

1. <u>केंद्र सरकार</u>

क) पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन और प्रचार प्रसार के लिए राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकारों के साथ समन्वय करते हुए उनको सहायता देना और सुचारू एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करना।

ख) पी.एम.एफ.बी.वाई. से संबंधित नियमों और विनियमों और उसके प्रचालानात्मक सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) के माध्यम से बैंकों को दिशानिर्देश जारी करना

ग) बीमा कंपनी को वास्तविक समय आधार पर भारतीय मौसम विभाग द्वारा मौसम से संबंधित आकड़ों को उपलब्ध कराने में सहायता देना।

घ) बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए व्यापार अनुमानों (प्रीमियम संग्रहण) के आधार पर फसल मौसम शुरू होने पर बीमा कंपनियों को योजना के तहत कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के प्रतिबद्ध दायित्व के लिए 50 प्रतिशत प्रीमियम सब्सिडी निर्मुक्त करना। मौसम के लिए प्रीमियम सब्सिडी से संबंधित शेष राशि, यदि कोई है को बीमा कंपनियों द्वारा फसल मौसम के दौरान प्राप्त/अंतिम वास्तविक व्यापार से संबंधित विवरण के आधार पर निर्मुक्त किया जाना ताकि वे लाभार्थी किसानों के दावों को निर्मुक्त कर सके।

ड.) बीमा कंपनियों के प्रीमियम दरों, उत्पाद मानदंडों और अन्य मामलों/दिशानिर्देशों सहित पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना। प्रतिभागी बीमा कंपनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हुए जहां कहीं आवश्यक हो संशोधनों/सुधारों का सुझाव देना।

च) राज्य सरकार के पदाधिकारियों और अन्य पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

छ) योजना के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करना और दावों के निपटान में किसी भी विवाद पर निर्णय लेना।

2. <u>राज्य/केन्द्र शासित राज्य सरकार</u>

क) योजना के कार्यान्वयन में किसानों सहित सभी संबंधित प्रतिभागियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एस.एल.सी.सी.सी.आई. की गठन प्रक्रिया को समय-समय पर समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाना। योजना के तहत उचित बीमा आच्छादन सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ क्रम रहित आधार पर बीमा आच्छादन आदि को सत्यापित करने तथा योजना के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा (विशेषत: मासिक) करने के लिए क्रमश: प्रमुख सचिव(कृषि/सहकारिता) और जिला समाहर्ता की अध्यक्षता में राज्य और जिला दोनों स्तरों पर समीक्षा एवं निगरानी

समिति का गठन करना। जिला स्तरीय निगरानी समिति (डी.एल.एम.सी.) संबंधित बीमा कंपनी को आवधिक मौसमी दशाओं, संवितरित ऋणों और कृषिगत क्षेत्र आदि की सीमा के बारे में पाक्षिक फसल दशा रिपोर्टें और सावधिक रिपोर्टें भी भेजेगी। डी.एल.एम.सी. जिलों में फसल कटाई प्रयोगों से संबंधित क्रियाकलापों का भी निगरानी करेगी।

ख) समूह संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, निविदा सूचना जारी करने, कार्यान्वयन अभिकरण का चयन और अधिसूचना निर्गमित करने के लिए एस.एल.सी.सी.सी.आई. की बैठक का आयोजन करेंगी। **<u>किसानों को व्यापक प्रचार-प्रसार और बीमा आच्छादन देने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना का सामयिक निर्गमन अनिवार्य है। अधिसूचना निर्गमन और जोखिम प्रारंभ तारीख के बीच कम से कम 1 माह का अंतराल होना चाहिए।</u>** राज्य सरकार की अधिसूचना में पैरा-VI में यथा रेखांकित सभी सूचना समाहित होनी चाहिए।

ग) अधिसूचना की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर चयनित कार्यान्वयन बीमा कंपिनयों के समन्वय से फसल बीमा पोर्टल पर अधिसूचना की अपेक्षित सूचना अपलोड करना।

घ) प्रारंभिक नुकसान मूल्यांकन और योजना के बेहतर प्रबंधन के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना।

ङ) योजना के कार्यान्वयन में लगे सभी अभिकरणों/ संस्थाओं/ सरकारी विभागों/ समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना।

च) प्रमुख फसलों के लिए बीमा इकाई ग्राम पंचायत या उसकी समकक्ष इकाई अधिसूचित करना और अन्य फसलों के लिए इकाई का आकार ग्राम/ग्राम पंचायत के स्तर से ऊपर हो सकता है|

छ) बीमा कंपनियों को पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत सभी अधिसूचित फसलों के तत्काल पिछले 10 वर्षों से संबंधित बीमा इकाईवार (अथवा यदि इकाई स्तरीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो उच्चतर इकाई से संबंधित आंकड़े उपज आंकड़े प्रस्तुत करना।

ज) बीमा कंपनियों को वास्तविक समय आधार पर मौसम संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ आई.एम.डी. के क्षेत्रीय मौसम केन्द्रों और अन्य सरकारी/अर्धसरकारी अभिकरणों को आवश्यक अनुदेश जारी करना।

झ) बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत उचित अनुमानों के आधार पर प्रत्येक मौसम के शुरू में उनको प्रीमियम सब्सिडी का 50 प्रतिशत हिस्सा निर्मुक्त करना और बीमा कंपनी द्वारा अंतिम आंकड़े

प्रस्तुत करने के फौरन बाद उस मौसम के लिए वास्तविक प्रीमियम सब्सिडी की शेष राशि का निपटान करना। राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी की सामयिक निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ भारत सरकार की सब्सिडी निर्मुक्ति केवल उन राज्यों को की जाएगी जिन्होंने तत्काल पूर्व फसल मौसम को छोड़कर प्रीमियम सब्सिडी के प्रति अपने दायित्व को पूरा कर दिया है।

ज्ञ) किसान विशेष रूप से गैर ऋणी किसानों को अधिकतम बीमा आच्छादन देने के प्रयोजनार्थ कृषि और विस्तार विभागों के माध्यम से किसान समुदाय के बीच योजना के प्रचार प्रसार संबंधी अभियानों को शुरू करने के साथ-साथ व्यापक जागरूकता शुरू करना।

ट) विनिर्धारित तारीख के भीतर मानक प्रपत्र में बीमा कंपनियों को सभी अधिसूचित फसलों और बीमा इकाइयों के लिए उपज संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करना।

ठ) बुआई अवधि से लेकर 2 माह के भीतर बीमाकृत फसलों की बुआई के बीमा इकाईवार क्षेत्र का ब्योरा बीमा कंपनियों को देना।

ड) स्थानीयकृत जोखिमों द्वारा उत्पन्न वैयक्तिक बीमाकृत किसानों के फसल नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए बीमा कंपनियों को सहायता देने के साथ-साथ फसल कटाई होने के बाद होने वाले नुकसानों के आंकलन में भी मदद करना।

ढ) अधिसूचित क्षेत्र में एकल श्रृंखला के फसल कटाई प्रयोग अपेक्षित संख्या में करना तथा ऐसे सभी फसल कटाई प्रयोग के निष्कर्ष सहित विनियत अंतिम तारीख के भीतर बीमा कंपनी को उपज आंकड़े उपलब्ध कराना।

ण) बीमा कंपनियों को फसल कटाई प्रयोग के सह पर्यवेक्षण और साक्ष्यकारी की अनुमति देने के साथ-साथ उन्हें राज्यों द्वारा फसल कटाई प्रयोग अभिलेख आंकड़ों के लिए आधारभूत स्तर पर प्रयुक्त प्रपत्र-2/ से संबंधित सारणी ख/जिला/राज्य स्तर सहित विभिन्न अभिलेखों तक पहुंच की भी इजाजत देना। राज्य आवश्यक जांचों और अवशेषों के साथ फसल कटाई प्रयोग संचालित करने संबंधी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करेगा। फसल कटाई प्रयोग की सटीकता सुनिश्चित करने संबंधी अन्य प्रक्रिया के अलावा फसल कटाई प्रयोग की आडियो/वीडियो अभिलेख को भी निष्पादित किया जाएगा।

3 बीमा कंपनियां

क) बीमा कंपनियां पी.एम.एफ.बी.वाई. के कार्यान्वयन में लगी हुई राज्य सरकारों और अभिकरणों/संस्थाओं/समितियों के साथ संपर्क बनाएंगी।

ख) अधिसूचना के अनुसार यथापेक्षित एस.एल.सी.सी.सी.आई. को आवश्यक ब्योरें प्रस्तुत कराए।

ग) जोखिम अंकन के अन्तराल जोखिम की स्वीकृति और संसाधन दायित्व-।

घ) राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों से उपज आंकड़े प्राप्त होने के बाद दावा प्रक्रिया को /अंतिम रूप देना और विनियत समय के भीतर नुकसान का भुगतान करना।

ड.) आवश्यक होने पर पुनर्बीमा व्यवस्था अर्जित करना।

च) डाटा बेस - फसल उपज और मौसम संबंधी डाटाबेस बनाना तथा कृषि बीमा डाटा बेस की भी संरचना करना।

छ) पी.एम.एफ.बी.वाई. की समीक्षा करना और कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग को प्रभावी कार्यान्वयन/सुधारों की नियमित जानकारी देना।

ज) मौसम के लिए बीमा की जोखिम अंकन से पहले लिखित रूप से नामित एजेंटो/ मध्यस्थों की सूचना देना|

झ) योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों/अन्य एजेंटों/ मध्यस्थों के लिए सेवा शुल्क/कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करना|

ञ) जागरूकता और प्रचार प्रसार - बैंक शाखाओं सहित आधारभूत स्तर पर पी.एम.एफ.बी.वाई. के लिए प्रचार-प्रसार और जागरूकता सृजन करने संबंधी व्यापक प्रयासों को अमल में लाना। योजना के प्रति जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए राज्यों और अन्य अभिकरणों के साथ भी समन्वय करना।

ट) सरकार द्वारा मांगी गई मासिक प्रगति विवरण/आंकड़े/सूचना को केन्द्र और राज्य सरकार दोनो को उपलब्ध कराना।

ठ) फसल बीमा पोर्टल पर सभी अपेक्षित ब्योरों सहित बीमाकृत किसानों और लाभार्थियों के ब्योरों समय पर अपलोड करने के लिए बैंक शाखाओं/मध्यस्थों/एजेंटों का सहयोग करना।

ड) आई.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित समय के भीतर सभी जन शिकायतों का निवारण करना। इसके लिए ए.आई.सी. द्वारा अनुरक्षित निशुल्क दूरभाष संख्या दिया जाएगा जो किसानों की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह दूरभाष संख्या डोकेट प्रणाली पर कार्य करेगा।

ढ) ऋणी किसानों की बीमा आच्छादन स्वयं बीमा कंपनियों द्वारा की जाएगी । इस संबंध में एजेंटों/दलालों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है।

ण) प्रत्येक तहसील स्तर पर क्रियाशील कार्यालय स्थापित करें और कम से कम एक एजेंट/मध्यस्थ को आवंटित जिलों में ब्लॉक स्तर पर नियुक्त करें ।

4. वित्तीय संस्थाएं/बैंक

क) पी.एम.एफ.बी.वाई. के प्रयोजनार्थ नाबार्ड/आर.बी.आई. के प्रासंगिक दिशा निर्देशों के अनुसार आवधिक कृषि प्रचालन (एसएओ) ऋणों के संवितरण कार्य में लगे अधिसूचित बैंकिंग संस्थानों को बैंक माना जाएगा।

ख) पैरा-X के विभिन्न उप पैरों में यथा उल्लिखित पी.एम.एफ.बी.वाई. के प्रति नोडल बैंकों की मौजूदा प्रणाली अपनी सेवा जारी रखेगी।

ग) अधिसूचना और अन्य दिशानिर्देश इस तरह से बीमा कंपनी अग्रणी बैंक /वाणिज्यिक बैंक के प्रशासनिक कार्यालय/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/नोडल बैंक/सेवा (अधिनस्थ) बैंक शाखा /पैक्स द्वारा प्रसारित होगे| बीमा कंपनियों द्वारा दावों का संप्रेषण इसी ढंग से किया जाएगा जबकि प्रीमियम का संप्रेषण विपरीत मार्ग से होगा।

अग्रणी बैंक/नोडल बैंक/वाणिज्यिक बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क) सभी अभिकरणों को अधिकार क्षेत्र में को अधिसूचना की जानकारी देते हुए अन्य दिशा निर्देश आदि जारी करें।

ख) सुनिश्चित करें कि सभी अभिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में ऋणी किसानों को उनके द्वारा देय प्रीमियम पर अतिरिक्त ऋण घटक स्वीकृत करें।

ग) सुनिश्चित करें कि पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत बीमा आच्छादन लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र सभी गैर ऋणी किसानों की सभी सेवा (अधीनस्थ) बैंक शाखाएं अपने अधिकार क्षेत्र में सेवा

उपलब्ध करें। ऐसी सेवा में गैर ऋणी किसानों के बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया, उनके द्वारा प्रस्ताव प्रपत्रों को भरने संबंधी दिशानिर्देश, उनके प्रीमियम वसूलने और संबंधित अभिलेखों आदि को अनुरक्षित रखने का कार्य होगा।

घ) सुनिश्चित करें कि ऋण और गैर ऋणी किसानों के अलग-अलग प्रीमियम और संबंधित आंकड़ें विनियत समय के भीतर नोडल बैंक को भेज दिए जाएं।

ङ) अग्रणी बैंक/नोडल बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिसूचित फसल/फसलों के लिए प्राप्त सभी पात्र फसल ऋण/ आवधिक प्रचालन ऋण पूर्णत: बीमाकृत हों और प्रस्तुत दावों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया गया हो। किसी भी किसान को बीमा आच्छादन से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए नोडल बैंक इस संबंध में फसल बीमा के तहत रुचि रखने वाले और - ऋणी किसान और सभी ऋणी पात्र किसानों के नामांकन अपनी शाखाओं में करने के लिए संपूर्ण प्रयास करें। **यदि फसल मौसम के दौरान दावे देय हों तो संबंधित बैंक और उसकी शाखाएं उन ऋणी किसानों के स्वीकार्य दावों का भुगतान करने की जिम्मेदार होंगी जिन्हें उनकी फसलों को बीमा आच्छादन से वंचित कर दिया गया था**

च) संबंधित बैंक और उसकी शाखाओं को ऋणी प्राप्त और गैर ऋणी किसानों के लिए अलग से देय समेकित प्रीमियम के साथ विनियत प्रपत्र में अधिसूचित फसलवार, बीमा इकाईवार घोषणाओं को विनिर्धारित समय के भीतर संबंधित ब्योरा बीमा कंपनियों को प्रस्तुत करना चाहिए। **यदि संबंधित बैंक और उसकी शाखाएं विनियत समय से पहले संग्रहित प्रीमियम की राशि अपने पास रखते हैं तो वे बीमा कंपनी को विलंबित अवधि के लिए ब्याज (बचत खाते पर ब्याज की प्रचलित दर पर) की अदायगी करेंगे।**

छ) नोडल बैंक/शाखाएं लाभार्थी खातों में क्रेडिट किए जाने के लिए सभी ब्योरों सहित बीमा कंपनियों से प्राप्त मुआवजा राशि को सेवा (अधीनस्थ) बैंक शाखाओं पैक्स को भी अग्रेषित करने की व्यवस्था करेंगी।

ज) नोडल बैंक/प्रशासनिक कार्यालय समायोजन के प्रयोजनार्थ साफ्ट कापी में संबंधित पैक्स /बैंक शाखा से अपेक्षित ब्योरों यथा नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या,ग्राम, श्रेणी- छोटे और सीमांत/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला, बीमाकृत रकबा, बीमाकृत फसल, बीमाकृत राशि, बीमा संग्रहण, सरकारी सब्सिडी आदि के साथ वैयक्तिक बीमाकृत किसानों की

सूची एकत्र करके उसे बीमा कंपनी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद 15 दिन के भीतर संप्रेषित करें।

झ) बीमा कंपनी बैंको द्वारा प्रस्तुत सभी घोषणाओं जिनमे फसल क्षेत्र, बीमाकृत राशि आदि के ब्योरों का उल्लेख हो स्वीकार करेगी| बैंकों को अपने अभिलेखों और त्रुटियों को जांचे और उन्हें तत्काल बीमा कंपनी की जानकारी में लाएं। 15 दिनों के भीतर बैंकों से कोई जवाब न मिलने पर पावती में प्रस्तुत ब्योरों को अंतिम माना जाएगा और बाद में उनमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

ञ) 7 दिनों के अन्दर संबंधित बैंक लाभार्थी खाते में बीमा कंपनी से प्राप्त पी.एम.एफ.बी.वाई. की दावा प्रक्रिया को क्रेडिट किया जाएगा। **यदि बैंक शाखाएं/नोडल बैंक दावा राशि को परिभाषित समय से ज्यादा रखते हैं तो यह उनका दायित्व होगा कि वे पात्र किसानों की विलंबित अवधि के लिए ब्याज (बचत खाते पर ब्याज की प्रचलित दर पर) की अदायगी करेंगे।** दावा राशि के संबंधित लाभार्थी कृषकों की सूची शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) द्वारा अभिप्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के अध्यक्ष/सरपंच/प्रधान को उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक बीमाकर्ता को इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि दावों के निपटान के प्राप्त संपूर्ण राशि लाभार्थी के खाते में डाल दी गई है।

ट) लाभार्थी किसानों की साफ्ट कापी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए संबंधित बीमा कंपनियों को नोडल बैंकों के माध्यम से बैंक शाखा/पैक्स द्वारा सीधे फसल बीमा पोर्टल पर भी अपलोड करना।

ठ) योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी भी समय नोडल बैंक/शाखा/पैक्स पर सभी संबंधित अभिलेखों/बैंक खातों तक पहुंच के लिए बीमा कंपनी को अनुमति दिया जाना।

ड) बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि कृषक संबंधित शाखा/पैक्स की गलतियों/चूकों/त्रुटियों के कारण योजना के तहत किसी भी लाभ से वंचित न हों,ऐसी त्रुटियों के मामले में संबंधित संसथान सभी प्रकार के नुकसान की भरपाई करेंगे|

ऋण देने वाले बैंक/आरएफआई

क) योजना की विशेषताओं के बारे में किसानों को शिक्षित करना|

ख) विशेषत:गैर ऋणी किसानों के मामले में विनियम प्रपत्रों में बीमा प्रस्ताव भरने और अपेक्षित दस्तावेजों, को एकत्रित करने के लिए किसानों का पथ प्रदर्शन करना।

ग) ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए समेकित ब्योरे तैयार करके उन्हें प्रीमियम राशि और बीमाकृत किसानों के अन्य ब्योरों सहित बीमा कंपनी को भेजना।

घ) बीमा कंपनी अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि और डी.एल.एम.सी. द्वारा जांच/सत्यापन के लिए प्रस्ताव प्रपत्रों से संबंधित अभिलेखों, अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का अनुरक्षण करना।

ङ) कार्य अधिकार क्षेत्र के अंदर नोडल बैंक और सेवा (अधीनस्थ) बैंक शाखाओं के कार्यालयों पर सभी प्रासंगिक अभिलेखों और पंजीकरणों को बीमा कंपनी को पड़ताल करने के लिए अनुमति देना।

च) अनिवार्य रूप से बीमित सभी ऋणी किसानों तथा उनके माध्यम से फसल बीमा प्राप्त करने वाले गैर ऋणी किसानों की भूमि और फसल ब्योरों सहित सभी संबंधित आंकड़े प्राप्त करना।

प्रशासनिक कार्य तंत्र के तहत, बैंकों को किसानों के लिए अंतिम सेवा बिंदु के रूप में विनियत किया गया है। यह उनका कर्तव्य है कि वे सभी पात्र ऋणी किसानों और सभी इच्छुक गैर ऋणी प्राप्त किसानों के लिए अनिवार्य बीमा आच्छादन सुनिश्चित करें। किसानों की बीमा आच्छादन के मामले में नोडल बैंक/शाखा/पैक्स द्वारा कोई गलत विवरण दिए जाने पर केवल संबंधित बैंक ही ऐसी गलत सूचना और उसके नतीजों का जिम्मेदार होगा।

5. <u>नामित बीमा एजेंट/ मध्यस्थ</u>

क) योजना की विशेषताओं के बारे में किसानों को शिक्षित करना।

ख) गैर ऋणी किसानों के मामले में विनियत प्रपत्र में बीमा प्रस्ताव भरने और अपेक्षित दस्तावेज को एकत्रित करने के लिए किसानों का प्रदर्शन करना।

ग) केवल योजना के प्रावधानो के अनुसार बीमा कंपनी की ओर से प्रीमियम की जिम्मेदारी लेते हुए उसे एकत्र करना।

घ) गैर ऋणी किसानों के समेकित ब्योरे तैयार करके उन्हें विनिर्धारित समय के भीतर प्रीमियम राशि के साथ बीमा कंपनी को अग्रेषित करना।

ङ) नामित बीमा एजेंट एकल बीमाकृत किसानो के अपेक्षित ब्योरों यथा नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, ग्राम, श्रेणी- छोटे और सीमांत/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/महिला, बीमाकृत रकबा, बीमाकृत फसल, बीमाकृत राशि, बीमा संग्रहण, सरकारी सब्सिडी आदि की सूची तैयार करके उसे बीमा कंपनी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद 5 दिन के भीतर संप्रेषित करना।

च) नामित बीमा एजेंटों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमाकृत किसान उनकी गलती/चूक/त्रुटि, यदि कोई है, के कारण योजना के तहत किसी लाभ से वंचित न हो। और यदि कोई त्रुटि हो तो संबंधित एजेंट/बीमा कंपनी ऐसे सभी नुकसानों की भरपाई करेगी। सेवा में लापरवाही, दुराचार का कोई विवरण मिलने पर आवश्यक प्रशासनिक और विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

6. ऋणी किसान

क) क्योंकि यह योजना अधिसूचित फसलों के लिए एसएओ ऋण प्राप्त करने वाले सभी ऋणी काश्तकारों के लिए अनिवार्य है। इसलिए यह भी अनिवार्य है कि योजना के प्रावधानो के अनुसार बीमा आच्छादन कराने के लिए सभी ऋणी किसानों पर जोर दिया जाए।

ख) फसल योजना में किसी परिवर्तन को बुआई के एक सप्ताह के अंदर संबंधित बैंक की जानकारी में लाया जाना।

ग) बीमा प्रस्तावों को केवल विनिर्धारित अंतिम तारीख तक ही स्वीकार किया जाए। इस तारीख का निर्धारण एस.एल.सी.सी.सी.आई. द्वारा किया जाएगा।

घ) चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बे मौसमी वर्षा के कारण फसलो के कटाई उपरांत होने वाले नुकसान अथवा स्थानीयकृत जोखिम के कारण खेत में पड़ी हुई कटी फसल को होने वाले नुकसान संबंधित जानकारी बैंक शाखा / वित्तीय संस्थान /चैनल पार्टनर / बीमाकर्ता को 48 घंटे के भीतर देना।

7. गैर ऋणी किसान

(क) किसी अधिसूचित फसल के लिए पी.एम.एफ.बी.वाई. के तहत बीमा लेने के इच्छुक काश्तकार किसी अधिसूचित बीमा इकाई में नजदीकी बैंक शाखा/पैक्स /प्राधिकृत चैनल पार्टनर/बीमा कंपनी से संबंधित बीमा मध्यस्थ के द्वारा अंतिम तारीख के भीतर संपर्क करके, विनिर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव को पूर्ण रूपेण भरेंगे और उसे संबंधित बैंक शाखा/बीमा मध्यस्थ को बीमे के लिए बीमा हित सत्यापित करते हुए प्रस्तावित कृषि भूमि/फसल (अर्थात स्वामित्वाधीन/काश्तकारी/काश्तकारी अधिकार) बीमा को आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(ख) बीमा आच्छादन प्राप्त करने के इच्छुक किसान को नामित बैंक की शाखा में खाता खोलकर/ प्रचालित करके संबंधित ब्योरों को प्रस्ताव प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करना।

(ग) किसानों को प्रस्ताव में अपनी भूमि से संबंधित अभिचिन्हित संख्या का उल्लेख करना चाहिए।

(घ) किसान को कृषि योग्य भूमि के अधिकार के दस्तावेजी साक्ष्य अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।

(ड़) किसान को क्षेत्र बुआई पुष्टि प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

(च) किसान को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे कृषि योग्य भूमि पर कृषिकृत/ कृषि किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिसूचित फसल/फसलों/ के लिए एकल स्रोत से ही बीमा आच्छादन प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में दोगुना बीमा कराने की अनुमति नहीं है। बीमा कंपनी के पास ऐसे सभी दावों को निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में प्रीमियम वापस नहीं करेंगी। कंपनी ऐसे किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

(छ) चक्रवात, चक्रवाती वर्षा और बेमौसमी वर्षा के कारण स्थानीकृत जोखिम अथवा फसलोपरांत नुकसान से संबंधित विनिर्दिष्ट जोखिमों के कारण खेत में पड़ी हुई फसल के किसी भी नुकसान संबंधित जानकारी बैंक शाखा/वित्तीय संस्थान/चैनल भागीदार/बीमाकर्ता को 48 घंटों के भीतर दें।

XXV. फसल बीमा कार्यक्रम के संचालन हेतु फसल बीमा पोर्टल

(www.agri-insurance.gov.in)

1. सरकार वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से चरणबद्ध रूप में निगरानी करने और वास्तविक समय सूचना प्राप्त करने के लिए बेहतर प्रशासन, समन्वय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ एकल सूचना प्रौद्योगिकी मंच पर सभी घटकों अर्थात् किसानों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी अभिकरणों को एकीकृत करने का प्रयास कर रही है।

वेब आधारित एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान प्रक्रिया विकसित करने का प्रयोजन संवितरण सेवा की गति को तेज करना, विखण्डित डाटा बेस को एकीकृत करना, संबंधित आंकड़ों की एकल प्राप्ति, हस्तचालित प्रक्रियाओं को समाप्त करके किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक सुचारू बीमा सेवाएं देना हैं। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने फसल बीमा के लिए एक वैब पोर्टल (**www.agri-insurance.gov.in**) बनाया है और विभिन्न कार्यों जैसे प्रक्रिया और प्रलेखनों का अंकीकरण, सूचना डाटा बैंक तथा कार्यतंत्र का प्रसार, प्रशासनिक प्रक्रिया का स्वचालन, प्रीमियम एवं दावा संगणना और संप्रेषण आदि को सुनिश्चित करने के लिए एकल सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित मंच उपलब्ध कराने के लिए इस वेब पोर्टल का संवर्द्धन कर रही है। इस सूचना प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली में यह अभिकल्पित है कि मौजूदा कार्यक्रम प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाली समस्याओं का निदान करते हुए इसकी प्रभावकारिता में कमी करने वाले कारकों जो की किसानों को लाभ पहुँचने में देरी या रोक का कारण बनते हैं जैसे चयनित/ स्तरित सूचना अभिसरण, हस्त संचालित हस्तक्षेप, बहुचरणीय प्रक्रियाए दस्तावेजी साक्ष्यों /सबूतों की जरूरत, विलंबित/ त्रृटिपूर्ण सूचना देना इत्यादि को रोका जाए। अत: सूचना प्राप्त करने के लिए फसल बीमा वेब पोर्टल के साथ सीधे अथवा अंतरापृष्ट के माध्यम से बैंकों, बीमा कंपनियों, राज्य सरकारों और उपज/मौसम डाटा प्रदाताओं से संबंधित सूचना प्रौद्यागिकी मंचों, का एकीकरण त्रृटियों से बचने, हितधारकों के बीच अपेक्षित जानकारी के समयबद्ध संचरण, दावों के शीघ्र निपटान, उचित अनुवीक्षण और योजनाओ के पारदर्शी प्रशासन, के लिए आवश्यक समझा गया। वेब पोर्टल के साथ सभी घटकों के सूचना प्रौद्योगिकी मंच का संपूर्ण आबंधन स्थापित होने पर सूचना संबंधी इलेक्ट्रानिक प्रवाह के कारण दावों का संसाधन शीघ्र सुनिश्चित होगा। इस समय यह पोर्टल 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में मौजूद है तथा इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में परिवर्तित किया जाएगा।

उपर्युक्त पोर्टल प्रक्रिया को संचालित करने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू करने के लिए एक एकीकृत पारिस्थितिकी भी उपलब्ध कराएगा। एक वेब आधारित एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान युक्ति बनाई गई है जिससे फसल बीमा सेवाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए अवसर मार्ग प्रशस्त होंगे।

इस परियोजना को कई पगों में विभक्त किया गया है और इसे 2 मुख्य चरणों में विकसित एवं प्रारंभ किया जाना अभिकल्पित है। चरण 1 पहले से ही बन चुका है और उसे क्रियाशील कर दिया गया है। चरण 2 के शेष घटकों को विकसित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

चरण -1:

क) बहुपणधारियों अर्थात किसानों, सरकारी कर्मचारियों, बीमा कंपनियों, मध्यस्थों, बैंकरों, सामाजिक और सामुदायिक निकायों को सूचना अभिसरण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ खरीफ और रबी दोनों मौसमों में संबंधित क्षेत्रों/ फसलों और योजनाओ की अभिसूचना का अंकीकरण किया गया है। इस चरण को विकसित करके शुरू कर दिया गया है तथा क्षेत्र/ फसल/मौसम और योजनाओ से संबंधित प्रासंगिक सूचना पोर्टल पर सुलभ रूप से उपलब्ध है। संबंधित राज्य सरकारों, बीमा कंपनियों द्वारा अपेक्षित आदान/ सूचना अपलोड करने के लिए विस्तृत उपयोगकर्ता नियमावली को पहले से ही परिचालित कर दिया गया है और खरीफ 2015 एवं रबी 2015-16 के संबंध में सूचना को फसल बीमा सूचना के अंकीकरण हेतु सफलतापूर्वक अपलोड कर दिया गया है।

राज्य सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर अपेक्षित सूचना डालना/अपलोड करना अनिवार्य है ताकि किसान और अन्य पणधारी फसल बीमा प्रीमियम की आखिरी तारीखों और बीमा कंपनियों के बारे में सामयिक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह सूचना विभिन्न माध्यमों यथा वेब, मोबाइल ऐप और एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध है ताकि ग्रामीण जनता के सभी वर्गों को इसमें शामिल किया जा सके।

राज्य सरकार और संबंधित कार्यावयन अभिकरण फसल बीमा पोर्टल में राज्यों द्वारा निर्गमित अधिसूचना के अनुसार सभी अपेक्षित सूचना की प्रविष्टि के जिम्मेदार होंगे। डाटा प्रविष्टि से संबंधित विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है (www.agri-insurance.gov.in) इसलिए राज्य सरकार और बीमा कंपनियां अग्रिम रूप से इस आशय के साथ कार्रवाई कर सकती हैं ताकि ऋण/बीमा

आच्छादन अवधि शुरू होने से पहले हितधारकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध करा दी जाए। राज्य सरकार और संबंधित कार्यावयन अभिकरण किसी भी गतल प्रविष्टि/ त्रृटि/ चूक आदि के स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(ख) योजनाओ, फसलों, बीमाकृत राशि, प्रीमियम राशि और कार्यान्वयन अभिकरण आदि के ब्योरा जानने के लिए किसानों एवं अन्य घटकों को जानकारी उपलब्ध करवाने के प्रयोजनार्थ बीमा प्रीमियम संगणक बनाया गया है। यह सूचना यूएसएसडी (वेब आधारित सूचना तक पहुंच के लिए गैर इंटरनेट आधारित मोबाइल प्रौद्योगिकी आधारित) के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई है। इस युक्ति को बनाकर पहले से ही इस्तेमाल के लिए शुरू कर दिया गया है। इस विभाग ने अनुकूलनकृत रूप में किसी विशेष अधिसूचित बीमाकृत क्षेत्र में फसल बीमा सूचना प्राप्त करने के लिए **एंड्राएड आधारित मोबाइल ऐप "फसल बीमा "** शुरू किया है। यह द्रुत सूचना आदि प्राप्त करने में बैंकों के लिए सहायक होगा। यह फसल बीमा एप या तो गूगल प्ले स्टोर अथवा (www.agri-insurance.gov.in) अथवा www.mkishan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है । इस समय यह ऐप अंग्रेजी और हिंदी में मौजूद है और शीघ्र ही इसे सभी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। **यह मोबाइल ऐप 23 दिसंबर, 2015 को शुरू किया गया था और 2 महीने से भी कम अवधि में इस एप से 6115 डाउनलोड किए गए हैं।**

(ग) नामित बैंक शाखाओं के द्वारा बीमा आच्छादन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसानों विशेषरूप से गैर ऋणी किसानों द्वारा आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। किसान फसल बीमा पोर्टल **(www.agri-insurance.gov.in)** पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरकर अपेक्षित प्रीमियम का भुगतान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों/आर.आर.बी./ डी.सी.सी.बी. की शाखाओं का चयन कर सकते हैं। किसान प्राधिकृत आम सेवा केन्द्र के माध्यम से भी अपना आवेदन भी जमा कर सकता है। **जैसे ही इस प्रणाली के माध्यम से आवेदन जमा होगा, एक अभिनव पहचान संख्या उत्पन्न होगी और किसान के मोबाइल पर एसएमएस चला जाएगा।** लाभार्थियों को अभिचिन्हित करने के लिए इस अभिनव पहचान संख्या का उपयोग किया जाएगा। आवेदन का प्रिंटआउट अथवा इस अभिनव पहचान (संख्या को) अपेक्षित प्रीमियम के साथ चयनित शाखा में जमा किया जाएगा। आवेदन को संशोधित करने का भी विकल्प दिया गया है। संशोधित आवेदन के प्रिंट आउट को दोबारा बैंक में जमा करना होगा।

बैंक शाखा दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद आवेदन को स्वीकार अथवा निरस्त करेगा। बैंक शाखा द्वारा विशेष: किसान के उस शाखा में मौजूद खाते से स्वीकार किया जायेगा और उसे इस प्रयोजनार्थ विनिर्धारित समय में संबंधित बीमा कंपनी को भेजा जाता है। इस प्रक्रिया का भी कई बैंक शाखाओं के साथ खरीफ 2015 के साथ प्रायोगिक आधार पर सफल परीक्षण हुआ है। **किसान के आवेदन को पूरा करना, यदि आवश्यक हो, चयनित बैंक शाखा का दायित्व है और यदि किसान आवेदन को भरने में आसमर्थ है तो बैंक शाखा का यह दायित्व होगा कि वह किसान की ओर से आवेदन को भरें** ताकि फसल बीमा आच्छादन प्राप्त करने का इच्छुक एक भी किसान फसल बीमा योजना के दायरे से बाहर न रहे। गैर ऋणी किसान ऑनलाइन प्रपत्र भरते हुए बीमा कंपनी के नाम का चयन करके सीधे बीमा कंपनी को आवेदन कर सकता है। पंजीकृत किसान से प्रीमियम एकत्र करने का दायित्व संबंधित बीमा कंपनी का होगा।

घ) लाभार्थियों का अभिचिन्हित करने के लिए बीमाकृत किसानों के ब्योरे प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ फसल बीमा पोर्टल के साथ बैंकों/ पंजीकृत मध्यस्थों का ऑनलाइन एकीकरण किया जाएगा। अधिक पारदर्शी और प्रमाणिक ढंग से लाभार्थियो के ब्योरों उपलब्ध कराने के लिए बैंक शाखाओं के पास विभिन्न विकल्प मौजूद हैं। **बैंक शाखा ऑनलाइन आवेदन पद्धति (यथा पैरा ग में उल्लिखित) के द्वारा बीमाकृत किसान के ब्योरों अथवा एक्सेल शीट के माध्यम से बहुतायत में अपेक्षित ब्योरों को अपलोड कर सकता है।** इन पूर्व परिभाषित एक्सेल शीटों को बीमा कंपनियों द्वारा प्रत्यक्षता अथवा उनके एजेंट द्वारा बीमा आच्छादन प्रदान किए गए गैर ऋणी किसानों और पैक्स सहित सभी बैंक शाखाओं द्वारा सभी लाभार्थियों विशेष रूप से ऋणी किसानों के ब्योरा प्राप्त करने के लिए सिस्टम/पोर्टल में अपलोड किया जा सकता है।

बहुतायत अपलोडिंग में प्रत्येक किसान के लिए एक अभिनव आवेदन नम्बर बनेगा और उस नम्बर को बीमाकृत किसान द्वारा उसके आवेदन का पता लगाने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस प्रक्रिया का भी सफल परीक्षण किया गया है। यह अभिकल्पित किया गया है कि बीमाकृत किसानों के सभी ब्योरा इस पोर्टल पर उपलब्ध कराए जायेंगे और उनका इस्तेमाल नीति निर्माण और अन्य रणनीतिक योजनाओं के लिए सरकार, कार्यान्वयन अभिकरणों और सामाजिक निकायों द्वारा किया जाए। बीमाकृत किसानों का आधार निसेचित डाटा बेस (यद्पि

आधार को अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है) प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण योजना और सरकारी निधियों/सब्सिडी आदि की निर्मुक्ति में उपयोग किया जा सकता है।

किसानों को सरकारी सब्सिडी और दावों की सामयिक निर्मुक्ति को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजनार्थ सभी बैंक शाखाओं/पैक्स के लिए पैरा-ग और पैरा-घ में यथा अभिकल्पित सभी बीमाकृत किसानों की विस्तृत सूचना प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस संबंध में वेब पोर्टल पर विस्तृत उपयोगकर्ता नियमावली मौजूद है। संबंधित बीमा कंपनियां बैंक शाखाओं/पैक्स को सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराएंगी। प्रथम वर्ष (अर्थात 2015-16) में इसका कार्यान्वयन होने के बाद अपेक्षित ब्योरों की आवश्यकता बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए विनिर्धारित अंतिम तारीखों के भीतर सभी संबंधित बैंक शाखाओं/पैक्स/मध्यस्थों द्वारा भरने / अपलोड करने के लिए होगी।

ड.) बैंकों से सभी बीमा कंपिनयों और किसानों को भुगतान के स्थानांतरण के बारे मे जानकारी हासिल करने के लिए एक कार्यतंत्र बनाया जाना है। वेब पोर्टल में बैंक शाखा स्वीकृत आवेदन / आवेदनों पर यूटीआर नम्बर डालकर संबंधित बीमा कंपनियों को समेकित प्रस्ताव/ घोषणा संप्रेषित करेगी। **इस कार्यतंत्र से बैंकों से संबंधित कार्यान्वयन बीमा कंपनियों को भुगतान के स्थानांतरण और संबंधित बैंक/ प्रत्यक्ष लाभार्थियों को कार्यान्वित बीमा कंपनियों से दावा राशि के संप्रेषण का पारदर्शी तरीका प्रशस्त होगा।** दावा राशि को बीमाकृत किसान के बैंक खाते में डालने के बाद बैंक शाखाएं उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आन लाइन प्रस्तुत करेंगी। बैंको की ओर से आवेदन और प्रीमियम मिलते ही बीमा कंपनियों को उन्हें आनलाइन आवेदन स्वीकार करना होगा। इस अनुक्रम में संबंधित किसान को एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा कि उसका बीमा आवेदन बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। बीमा कंपनी किसान को बीमा दस्तावेज भेजेगी और वह दस्तावेज बीमा कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। किसान अपना अभिनव पहचान संख्या इस्तेमाल करके वेबसाइट से पॉलिसी दस्तावेज डाउनलोड करेगा।

चरण -2:

क) भू अभिलेखों के साथ फसल बीमा एकीकरण किया जाएगा ताकि किसान की भू-स्वामित्व का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके। कुछ राज्य अंकीकृत भू-अभिलेख रख रहे हैं जबकि अन्य कुछ इस संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। **इस प्रकार अंकीकृत भू-अभिलेखों के**

साथ एकीकरण कार्य (जहां कहीं उपलब्ध हों) किया जाएगा और किसान की भू-स्वामित्व का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।

ख) एक ऐसी प्रणाली बनाई जाएगी जिसके द्वारा मानक बोली दस्तावेज तैयार होंगे। अधिसूचित इकाइयों और फसलों को मानक सांचा सुविधा के साथ जोड़ने/निकालने/संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी| **इससे सभी राज्यों में मानक बोली दस्तावेज उपलब्ध होंगे**। अनुबंधों को संशोधित करने के प्रयोजनार्थ, यदि आवश्यक हो, सम्पादन विकल्प भी दिया जाएगा। इस प्रणाली का उपयोग करके अंकीकृत बोली दस्तावेज अधिक तेज गति से तैयार होंगे।

ग) सभी हितधारकों के बीच अपेक्षित आकड़े /सूचना के प्रवाह को सहज बनाने के लिए एक उपयुक्त अंतरापृष्ट बनाया जाएगा। **सूचना और आकडो के द्रुत आदान-प्रदान के लिए वैब सेवाओं का इस्तेमाल करके विभिन्न हितधारकों के बीच आकडो के ई-सम्प्रेषण, सूचना और दस्तावेजों को सुविधाजनक बनाया जाएगा।** इस सुविधा से वे सभी अंतराल आवश्यक रूप से समाप्त हो जाएंगे जो विलंबित सम्प्रेषण/सूचना तथा प्रीमियम/ दावा वसूली निपटानों में अभी मौजूद हैं। इस वेब के द्वारा सृजित निष्कर्षों को एक्सएमएल के रूप में बैंकों/ बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे विश्लेषण कार्य करने के साथ साथ अपनी ओर से अपेक्षित विवरणों का संचयन कर सकेंगे ।

घ) प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसानों का जानकारी करने के लिए मोबाइल एप्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन एप्स के माध्यम से क्षेत्र छायाचित्र लिए जाएंगे और उससे भौगोलिक अवस्थिति की स्वमेव जानकारी मिल जाएगी। ऐप **के माध्यम से संग्रहित इन आंकड़ों को तत्काल इसरो भुवन मंच पर भेजा जाएगा जिसे सभी हितधारकों द्वारा उपयोग में लाया जायेगा।** ये रेखांकित दृश्य निगरानी के लिए मुख्य साधन होगा और इसका आगे का विश्लेषण आसान तरीके से किया जाएगा।

ङ) वास्तविक समय मौसम संचालन आंकड़ों और पोर्टल के साथ फसलों का उपज मूल्यांकन आंकड़ों का एकीकरण पोर्टल के साथ करने संबंधी प्रणाली बनाई जाएगी। **इस एकीकृत प्रणाली से संबंधित बीमा कंपनियों को उपज / मौसम/ आंकड़ों के द्रुत, पारदर्शी संप्रेषण को सुविधाजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा और लाभार्थियों के लिए स्वमेव दावा संगणना और संप्रेषण कार्य सहज होगा।** इस सुविधा **से फसल नुकसान** और भुगतान किए जाने

योग्य दावों अर्थात सरकारी अभिकरणों / कार्यान्वयन अभिकरणों को आवश्यक जानकारी पहुंचाने के बारे में वास्तविक समय सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित होगी ताकि नीति / प्रशासनिक निवारक उपाय किए जा सकें।

च) प्रभावी कार्यक्रम प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए **केन्द्र /राज्य सरकार, बीमा** अभिकरणों**/ बैंकरों और अन्य घटकों के स्तर पर नीतिगत प्रशासन, कार्य और रणनीतिक निर्णय में सहायतार्थ फसल बीमा आकडा बैंक और एम.आई.एस. का सृजन किया जाएगा। विभिन्न** नीतिगत मुद्दों, प्रीमियम रेटिंग आदि के लिए अधिसूचित बीमा इकाई पर प्रत्येक फसल/फसलों की नुकसान लागत संगणना और कृषि में जोखिम को कम करने के लिए पूर्व फसल मौसमों /योजनाओ के लिए एक एम.आई.एस. प्रणाली विकसित की जाएगी।

छ) एक सृदढ़ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित **सार्वजनिक शिकायत निपटान तंत्र** बनाया जाएगा ताकि सभी शिकायातों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। किसान अपनी शिकायतों और शिकायतो पर की गई कार्रवाई की स्थिति जान सकते हैं।

ज) विभिन्न घटकों और दुत संचार व्यवस्था के बीच तकनीकी विचारों/सुझावों का आदान प्रदान करने के लिए एक **परस्पर मंच** विकसित किया जाएगा।

इसलिए प्रस्ताव है कि पहले से ही सफलतापूर्वक परीक्षित खरीफ 2016, चरण-1 के शुरू से उसे अनिवार्य रूप से प्रतिपादित किया जाए और उसके शेष चरणों को उनके विधि मान्यकृत होने के बाद प्रतिपादित किया जाएगा ।

चरण-2 के घटक आवश्यक रूप से क्रमबद्ध नहीं है तथा इन्हें आवश्यक परीक्षण के बाद प्रतिपादित किया जाएगा।